



राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन  
2011—2012

निर्वाचन विभाग राजस्थान, जयपुर

**राजस्थान सरकार**  
**निर्वाचन विभाग**  
वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन – वर्ष 2011–2012

1.	प्रस्तावना	1
2.	प्रशासनिक व्यवस्था	2
3.	विधानसभा एवं लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र	5
4.	निर्वाचन	6
5.	मतदान केन्द्र	8
6.	मतदाता सूचियों	9
7.	इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन	15
8.	मतदाता फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम	17
9.	वैब आधारित वोटर हैल्प लाईन सिस्टम	19
10.	मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम की जानकारी देने हेतु प्रचार-प्रसार	20
11.	प्रकाशन/मुद्रण	21
12.	राज्यसभा के चुनाव एवं उप चुनाव	22
13.	निर्वाचन भण्डार (मुख्यालय)	23
14.	संस्थापन	24
15.	लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति	25
16.	शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना	26
17.	निर्वाचक नामावली एवं मतदाता फोटो पहचान संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु स्थापित राज्य स्तरीय कॉल सेन्टर	27
18.	लेखा	28
19.	राष्ट्रीय मतदाता दिवस	29
परिशिष्ट-1	प्रशासनिक संरचना	30
परिशिष्ट-2	निर्वाचन विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत/ रिक्त पदों की स्थिति (जनवरी, 2012)	31
परिशिष्ट-3	जिला निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों में स्वीकृत पदों की जिलेवार स्थिति	32
परिशिष्ट-4	परिसीमन आदेश के अनुसार लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की स्थिति	34
परिशिष्ट-5	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी की सूची (जनवरी, 2012)	35
परिशिष्ट-6	वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुमानित व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय व्यय अनुमानों का विवरण	48
परिशिष्ट-7	जिलेवार/विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं, मतदान केन्द्रों तथा फोटो पहचान पत्रों की स्थिति	50

## 1. प्रस्तावना : –

- 1.1 भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को की गई। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक एवं स्वतंत्र संस्था है। देश के सभी राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों की तैयारी तथा विधानसभा एवं संसद के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियन्त्रण एवं अनुशासनाधीन सम्पन्न कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति के चुनाव का दायित्व भी निर्वाचन आयोग का है।
- 1.2 भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त एवं एक या एक से अधिक चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का प्रावधान है। वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त दो चुनाव आयुक्त कार्यरत हैं। राज्य स्तर पर निर्वाचनों के संचालन एवं मतदाता सूचियों की तैयारी संबंधी कार्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पर्यवेक्षण में कराया जाता है जो कि भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण एवं अनुशासनाधीन कार्य करते हैं।
- 1.3 राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 6,86,21,012 लाख तथा क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य 7 सम्भागीय आयुक्त क्षेत्रों में विभाजित है। राज्य में 33 जिले, 244 उपखण्ड एवं 244 तहसीलें स्थापित हैं। भारत निर्वाचन आयोग के गठन के साथ-साथ ही राज्य में निर्वाचन विभाग द्वारा निर्वाचन सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ किया गया। राज्य में विधानसभा तथा लोकसभा के लिए प्रथम निर्वाचन 1952 में सम्पन्न हुए थे। वर्तमान में राज्य के 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 34 क्षेत्र अनुसूचित जाति तथा 25 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित हैं। 25 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में से 4 निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति तथा 3 क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित हैं।

## 2. प्रशासनिक व्यवस्था : —

### 2.1 भारत निर्वाचन आयोग :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग को लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करवाने, संशोधन कराने एवं चुनाव के संबंध में राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों पर पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं निर्देश देने के अधिकार निहित है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा समय-समय पर नियत की जाती है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त, डा0 एस. वाई. कुरैशी हैं, श्री वी. एस. सम्पथ एवं श्री एच. एस. ब्रह्ममा चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं।

### 2.2 मुख्य निर्वाचन अधिकारी :

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा '13क' में प्रत्येक राज्य में एक मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, संसद और विधानसभा निर्वाचनों का संचालन एवं मतदाता सूचियों की तैयारी, पुनरीक्षण एवं संशोधन संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। आयोग, राज्य सरकार से परामर्श कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है। विभाग में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सहायता तथा आयोग द्वारा सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करने के लिए संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी), एक मुख्य लेखाधिकारी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी का एक पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा का एवं एक विभागीय पद सृजित हैं। निर्वाचन संबंधी कार्यों को सुचारु रूप से संचालन किए जाने के लिए विभाग में कई अनुभाग स्थापित हैं जिसमें विभिन्न संवर्गों में अधिकारियों सहित कुल 55 पद स्वीकृत हैं। निर्वाचन विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था का रेखाचित्र **परिशिष्ट-1** एवं विभाग में स्वीकृत पदों/पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थिति **परिशिष्ट-2** पर संलग्न है।

### 2.3 जिला स्तरीय व्यवस्था :

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा '13कक' के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर संसद और विधानसभा निर्वाचनों के संचालन, मतदाता फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम, मतदाता सूचियों की तैयारी, पुनरीक्षण एवं संशोधन से संबंधित समस्त कार्य का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करते हैं। **भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 508/राज/2008 दिनांक 12 मई, 2008 के द्वारा राज्य के सभी जिला कलक्टर को जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है।**

## 2.4 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी :

प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करने तथा पुनरीक्षण किए जाने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा '13ख' के अन्तर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है ।

प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ही उस विधानसभा क्षेत्र के लिये निर्वाचन संचालन हेतु रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ताकि मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण, निर्वाचन तथा फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम के निष्पादन में प्रशासनिक दृष्टि से पर्यवेक्षण कार्य में सुगमता हो। परिसीमन आयोग की अधिसूचना 25 जनवरी, 2006 के अनुसार राज्य की सभी परिसीमित 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाभिहित करने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा नए सिरे से अधिसूचना संख्या 429/राजस्थान/2008 (1) दिनांक 12 मई, 2008 को जारी कर राज्य के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक-एक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो सामान्यतः राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इसके पश्चात विभाग के प्रस्तावानुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2008, दिनांक 25 मई, 2010, 6 अप्रैल, 2011, 2 मई, 2011 एवं दिनांक 11 अगस्त, 2011 को अधिसूचनाएं जारी कर कुछ जिलों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नए पद सृजित होने के कारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के पद नाम परिवर्तित करते हुए अधिसूचित किए हैं। संलग्न परिशिष्ट-5 के अनुसार राज्य के 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की आदिनांक सूची उपलब्ध है।

## 2.5 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी :

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कर्तव्यों के पालन में सहायता किए जाने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा '13ग' के प्रावधानानुसार सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण के अधीन उनके द्वारा सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करता है।

भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 429/राजस्थान/ 2008(2) दिनांक 12 मई, 2008 के द्वारा समस्त 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 20 नवम्बर, 2008 को अधिसूचना जारी कर 151-खेरवाडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सराडा के स्थान पर तहसीलदार ऋषभदेव को एवं 46-झोटवाडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तहसीलदार जयपुर के स्थान

पर उप पंजीयक (चतुर्थ) जयपुर को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अधिसूचित किया है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की आदिनांक सूची परिशिष्ट-5 के अनुसार हैं।

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी कर रहे हैं। केवल आयुक्त, नगर परिषद, गंगानगर को गंगानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया हुआ है जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं।

## 2.6 अन्य कर्मचारी :

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों में अधीनस्थ सेवा में 3 पद, मंत्रालयिक सेवा के विभिन्न संवर्गों में 289 पद एवं सहायक कर्मचारियों के 106 पद स्वीकृत हैं। इसमें से प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कम्प्यूटर सैल के लिये सृजित 32 अस्थायी कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद भी सम्मिलित हैं। जिला प्रतापगढ़ में राज्य सरकार द्वारा एक कार्यालय सहायक का अस्थाई पद एवं एक कम्प्यूटर आपरेटर व 2 सहायक कर्मचारियों के पद संविदा के आधार पर स्वीकृत किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में स्वीकृत पदों को परिसीमन आयोग की अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2006 के अनुसार जिलेवार अधिसूचित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या के अनुसार पुनः निर्धारण किया है तथा तदनुसार आवंटित पदों की स्थिति परिशिष्ट-3 संलग्न है।

जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में निर्वाचन संबंधी कार्य सुचारु रूप से संचालित हो तथा जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों में कार्य का भली प्रकार से पर्यवेक्षण हो इसे दृष्टिगत रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों में राजस्व विभाग की आज्ञा सं. क्रमांक प.7(36) राज/2/2008 दिनांक 21.6.2008 से तहसीलदार (निर्वाचन) के 33 पद स्वीकृत किए गए हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13ख(2) के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विहित निर्बन्धों के अधीन रहते हुए निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची को तैयार और पुनरीक्षित करने के लिए आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करने हेतु अधिकृत है। निर्वाचन कार्य एवं मतदाता सूचियों की तैयारी के लिए नियोजित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी भारत निर्वाचन आयोग के अधीन प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं और उस अवधि के दौरान ऐसे अधिकारी और कर्मचारी भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन कार्यरत होते हैं।

### 3. विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र :-

- 3.1 भारतीय संविधान की धारा 82 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को परिसीमन अधिनियम, 2002 के अनुसार परिसीमन आयोग के गठन हेतु अधिकार प्रदत्त किए गए। परिसीमन आयोग, राज्यों में विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है। परिसीमन संशोधन अधिनियम, 2003 (2000 का 3) द्वारा यथा संशोधित परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 8 तथा 4 के अनुसरण में परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 16 दिनांक 25 जनवरी, 2006 के अनुसार राज्य में विधानसभा एवं लोकसभा के लिए सीटों का अंतिम रूप से निर्धारण किया। उक्त आदेश को महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 19 फरवरी, 2008 से लागू करने के आदेश पारित किए। वर्तमान में परिसीमन आयोग की आदेश संख्या 16 दिनांक 25 जनवरी, 2006 लागू है। इसके अनुसार राज्य में लोकसभा के लिए 25 क्षेत्र अधिसूचित हैं जिसमें से 4 क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं 3 क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। आयोग द्वारा विधानसभा हेतु 200 निर्वाचन क्षेत्र अधिसूचित किए हैं जिसमें 34 क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं 25 क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
- 3.2 वर्तमान में राज्य के 33 जिलों में 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण विद्यमान 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गुणन में विभाजित कर किया गया है अर्थात् प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। विद्यमान लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकारिता को जिलों के परिपेक्ष्य में देखा जाए तो कोई भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा जिलों की सीमा के अनुरूप (Coterminus) नहीं है। 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का पूरा क्षेत्र एक ही जिले में सीमित है, 18 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार 2 जिलों में तथा 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार 3 जिलों तक है। राज्य में केवल राजसमन्द लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार चार जिले क्रमशः राजसमन्द, नागौर, अजमेर एवं पाली में है। इसी प्रकार राज्य में 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार दो जिलों में यथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मसूदा का विस्तार अजमेर एवं भीलवाडा, राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ का अलवर एवं दौसा, घाटोल का बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़, अन्ता का बारां एवं कोटा, निम्बाहेडा का चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़, बडी सादडी का चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़, महुआ का दौसा एवं अलवर, टोडाभीम का करौली एवं दौसा, धरियावद का प्रतापगढ़ एवं उदयपुर, भीम का राजसमन्द एवं भीलवाडा, नाथद्वारा का राजसमन्द एवं उदयपुर जिले में है। विद्यमान लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा उनके आरक्षण की स्थिति संलग्न **परिशिष्ट-4** के अनुसार है। जिलेवार एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार नियुक्त निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट-5** संलग्न है।

## 4. निर्वाचन :-

### 4.1 रिटर्निंग आफिसर :

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत निर्वाचनों के संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी का प्रावधान किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उस राज्य में इस अधिनियम के अधीन सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी उस जिले में या अपनी अधिकारिता के भीतर संसद और राज्य के विधान मण्डल के सभी निर्वाचनों के संचालन तथा अन्य कृत्यों का भी पालन करता है जो भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देशित किए जाए।

4.1.1 भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना 434/राज/लो.स./2008(1) दिनांक 12 मई, 2008 एवं 434/राज/लो.स./2009(1) दिनांक 19 जनवरी, 2009 के द्वारा राजस्थान राज्य के 25 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए क्रमशः 24 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को रिटर्निंग अधिकारी हैं तथा जयपुर ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में रिटर्निंग आफिसर के सहायतार्थ भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना 434/राज/लो.स./2008(2) दिनांक 12 मई, 2008 के द्वारा सहायक रिटर्निंग आफिसर भी नियुक्त है। सहायक रिटर्निंग आफिसर वे ही अधिकारी होते हैं जो उनके अधिकारिता क्षेत्र में आने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग आफिसर हैं। इस हेतु भारत निर्वाचन आयोग ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी को भी राजस्व जिले में पूर्ण अथवा आंशिक पड़ने वाले लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया है।

4.1.2 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना 434/राज/वि.स./2008(1) दिनांक 12 मई, 2008 के द्वारा राज्य के 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन के लिए, राज्य सरकार के परामर्श से रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किए हैं। सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पृथक-पृथक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त हैं, जो सामान्यतः राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं।

4.1.3 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों के दायित्वों/कृत्यों के निर्वहन में सहायता के लिए राज्य सरकार से परामर्श कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 23 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 434/राज/वि.स./2008(2) दिनांक 12 मई, 2008 के द्वारा सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किए गए हैं।



आयोग की अधिसूचना 12 मई, 2008 के द्वारा एक राजस्व जिले में आंशिक या पूर्ण रूप से पड़ने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उस जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी को उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसरों को उसके कृत्यों के निष्पादन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया गया है।

- 4.1.4 भारत निर्वाचन आयोग ने इसके पश्चात अधिसूचना दिनांक 434/राज. /वि.स./2008(1) दिनांक 5 नवम्बर, 2008 एवं 4 अगस्त, 2011 के द्वारा कुछ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के पद नाम परिवर्तित किए हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों आदिनांक सूची निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-5 के अनुरूप करवायी जा रही हैं।
- 4.1.5 भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना दिनांक 12 मई, 2008 को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी में संशोधन करते हुए अधिसूचना दिनांक 11.11.2008 के द्वारा 46-झोटवाडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए, उप पंजीयक (चतुर्थ) जयपुर को अधिसूचना दिनांक 11.11.2008 के द्वारा, 123-लोहावट एवं 128-जोधपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमशः सहायक भू-प्रबन्धक अधिकारी, जोधपुर-तृतीय तथा अधिसूचना दिनांक 5.11.2008 के द्वारा तहसीलदार ऋषभदेव को 151-खेरवाडा के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया है।

## 5. मतदान केन्द्र : –

- 5.1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 25 के अन्तर्गत मतदान केन्द्रों की सूची तैयार करने एवं आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों का अन्तिम प्रकाशन करने का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) का है।
- 5.2 अर्हता दिनांक 1.1.2011 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व राज्य की सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करवाया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा जिले में कुल 30 नए मतदान केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों पर आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर तदनुसार मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया गया।
- 5.3 वर्तमान में राज्य में कुल 42,737 मतदान केन्द्र स्थापित हैं। इनमें से 8142 मतदान केन्द्र शहरी क्षेत्रों में एवं 34,595 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैं। अर्हता दिनांक 1.1.2012 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के समय प्रति मतदान केन्द्र औसत मतदाताओं की संख्या 880 है।

## 6. मतदाता सूचियों :-

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी को आधार मानते हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण/विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य किया जाता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियाँ भागवार तैयार की जाती हैं जिसमें मतदाता की प्रविष्टियों के साथ मतदाताओं के फोटो भी मुद्रित हैं।

### 6.1 अर्हता दिनांक 1.1.2012 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण:

अर्हता दिनांक 1.1.2012 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया गया। आयोग द्वारा इस विषय में निम्न प्रकार से कार्यक्रम निर्धारित किया।

1.	मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन	1 अक्टूबर, 2011 (शनिवार)
2.	दावें एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अवधि	1 अक्टूबर, 2011 (शनिवार) से 1 नवम्बर, 2011 (मंगलवार)
3.	फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के संबंधित भाग/ अनुभाग का ग्रामसभा/नगरीय क्षेत्रों में वार्डसभा एवं आवासीय वेलफेयर सोसायटी के साथ बैठक आयोजित कर प्रविष्टियों को सत्यापित करना।	8 अक्टूबर, 2011 (शनिवार) एवं 11 अक्टूबर, 2011 (मंगलवार)
4.	राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ विशेष अभियान की तिथियों में दावें एवं आपत्तियाँ प्राप्त करना।	9 अक्टूबर, 2011 (रविवार) 16 अक्टूबर, 2011 (रविवार) एवं 23 अक्टूबर, 2011 (रविवार)
5.	दावें एवं आपत्तियों का निस्तारण	1 दिसम्बर, 2011 (गुरुवार) तक
6.	पूरक (Supplements) की तैयारी एवं मुद्रण	1 दिसम्बर, 2011 (गुरुवार) से 31 दिसम्बर, 2011 (शनिवार)तक
7.	मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन	05 जनवरी, 2012 (गुरुवार)

6.2 पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दावें एवं आपत्तियाँ प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु फार्म न. 6 में कुल 11,18,803 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से बाद जाँच कुल 9,73,381 आवेदन पत्र स्वीकार किए

गए। इसी प्रकार से मतदाता सूची में नाम हटाने हेतु प्रारूप 7 में कुल 1,74,895 आक्षेप प्राप्त हुए इनमें बाद जाँच 1,59,025 आक्षेप सही पाए गए तथा तदनुसार मतदाता सूची में से नाम विलोपित किए गए। राज्य में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा स्वविवेक से 5,04,058 नाम मतदाता सूची से हटाये गए। इस प्रकार से पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान कुल 3,10,298 नाम विशुद्ध रूप से मतदाता सूची में जोड़े गए।

6.3 अर्हता दिनांक 1.1.2012 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 5 जनवरी, 2012 को किया गया। मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन की दिनांक को राज्य में कुल मतदाता 3,76,06,918 पंजीकृत थे। इनमें से 1,99,96,954 पुरुष मतदाता एवं 17609946 महिला मतदाता हैं। राज्य में इस समय कुल 1,01,669, सेवानियोजित मतदाता पंजीकृत थे। इस प्रकार से सेवानियोजित मतदाताओं का सम्मिलित करते हुए राज्य में कुल 37708587 मतदाता थे।

6.4 **अर्हता दिनांक 01.01.2012 के संदर्भ में सेवानियोजित मतदाताओं की मतदाता सूची का पुनरीक्षण :-** अर्हता दिनांक 1.1.2012 के संदर्भ में सामान्यतः मतदाताओं की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के साथ-साथ सेवानियोजित मतदाताओं की मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण करने हेतु आयोग ने निर्देश दिए। यह उल्लेखनीय है कि सामान्य मतदाताओं की मतदाता सूची एवं सेवानियोजित मतदाताओं की मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण वर्ष 01.01.2004 से पृथक-पृथक किया जा रहा है। आयोग के निर्देशानुसार यदि गत वर्ष पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान यदि सेवारत व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है या ऐसे सेवारत कर्मचारी जो कि दिनांक 01.01.2012 को 18 वर्ष के हो गये हैं वह अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु संबंधित रिकार्ड आफिस के नाम से निर्धारित प्रपत्र 2, 2क या 3 में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

6.4.1 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सेवानियोजित मतदाताओं की मतदाता सूची जो कि संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची का अन्तिम भाग होती है के क्रम में वर्ष में दो बार पूरक सूची तैयार की जाती है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में रिकार्ड आफिस से दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के क्रम में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2012 तक इन आवेदन पत्रों की जाँच कर कम्प्यूटर के माध्यम से प्रथम पूरक सूची तैयार की गई हैं। दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निस्तारण निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जायेगा तथा द्वितीय पूरक सूची 30 जून, 2012 को कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार की जायेगी। आयोग ने प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की है कि

दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों के क्रम में प्रति पूर्व पूरक सूची तैयार होने के बाद रिकार्ड अधिकारी को दिनांक 28 फरवरी, 2012 तक आवश्यक रूप से भेजे तथा इसी प्रकार से कार्यवाही द्वितीय पूरक सूची के संबंध में दिनांक 31 जुलाई, 2012 तक की जानी है।

- 6.5 **प्रवासी नागरिकों का मतदाता सूची में पंजीकरण** – लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 के द्वारा संशोधन करते हुए नई धारा 20(ए) प्रतिस्थापित की गयी है। इस नई धारा के अनुसार प्रत्येक ऐसे भारतीय नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, जिसके द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की गयी है तथा वह रोजगार, अध्ययन या अन्य कारणों से भारत के बाहर निवास कर रहे हो तो ऐसे नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के हकदार होंगे तथा उनके नाम उस स्थान की मतदाता सूची में जोड़े जायेंगे जिसका कि उल्लेख उनके द्वारा पासपोर्ट में किया गया है।
- 6.5.1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में किये गये उक्त संशोधन के फलस्वरूप नियम 8ए के अन्तर्गत लोक अधिसूचना निर्धारित प्रपत्र में विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उपरोक्त मतदाताओं के लिए मतदाता सूची में आवेदन करने के लिए नये आवेदन पत्र का प्रारूप 6ए एवं अन्य जानकारी विभाग की वेबसाइट (<http://ceorajasthan.nic.in>) पर उपलब्ध है।
- 6.6 **मतदाता सूचियों का निरन्तर अद्यतन :**
- 6.6.1 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियाँ अन्तिम रूप से प्रकाशित किए जाने के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 व इसके अन्तर्गत बने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अधीन निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया (Process of continuous updation) के अधीन रहती है।
- 6.6.2 भारत निर्वाचन आयोग ने समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूचियों के अन्तिम प्रकाशन के बाद इसमें नाम जुड़वाने, हटाने, शुद्धि करवाने एवं प्रविष्टी को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु पात्र नागरिकों से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, इनमें निर्णय लिया जाकर नाम जोड़ने, हटाने इत्यादि की कार्यवाही वर्ष भर की जानी चाहिए जिससे नियमों में प्रदत्त सुविधा का लाभ मिल सके। यह कार्यवाही निर्वाचन के समय नामांकन की अंतिम दिनांक से निर्वाचन की समाप्ति तक बाधित रहती हैं।
- 6.6.3 भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों का निरन्तर अद्यतन करने के क्रम में दिशा-निर्देश प्रसारित किए हैं तथा प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में निरन्तर अद्यतन की अवधि में प्राप्त

होने वाले आवेदन पत्रों के क्रम में रजिस्टर संधारित करने के निर्देश प्रदान किए हैं।

- 6.6.4 अर्हता दिनांक 01.01.2012 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के दिनांक 5 जनवरी, 2012 को अंतिम प्रकाशन के बाद मतदाता सूचियों के निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है। निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने, संशोधन करने आदि के विषय में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में आवेदन किये जा सकते हैं।
- 6.6.5 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनांक 5 जनवरी, 2012 से 15 जनवरी, 2012 के मध्य अर्हता दिनांक 1.1.2012 के संदर्भ में छूटे हुए पात्र युवाओं एवं महिला मतदाताओं का मतदाता सूची में पंजीकरण करने हेतु विशेष अभियान चलाया गया। इस अवधि में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर सम्पर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त किए गये। इस अवधि में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु कुल 4,63,167 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा इन आवेदन पत्रों का निस्तारण करते हुए कुल 4,35,718 आवेदन पत्र स्वीकार किए हैं।

#### 6.7 बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति :-

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों को वास्तविकता के अनुरूप शुद्ध, त्रुटिरहित एवं आदिनांक करने हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए स्थाई रूप से बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति करने के विषय में निर्देश दिए हैं। बूथ लेवल अधिकारी इस कार्य के साथ-साथ मतदाता फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम में भी सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे।

- 6.7.1 आयोग के उक्त निर्देशों के क्रम में राज्य के सभी 42,737 मतदान केन्द्रों पर विभिन्न विभागों के स्थानीय कर्मचारियों को बूथ लेवल अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है जो अपने कार्य के साथ-साथ इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य को भी करेंगे।
- 6.7.2 बूथ लेवल अधिकारियों के पास इनको आवंटित मतदान केन्द्र की अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची उपलब्ध कराई गई है जो कि इनकी अभिरक्षा में रहेगी। इन अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई है कि स्थानीय व्यक्तियों से सम्पर्क कर मतदाता सूचियों से मृत एवं स्थानान्तरित मतदाताओं के नाम चिन्हित करें जिससे कि संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार उक्त नाम मतदाता सूची से विलोपित किए जा सकें। बूथ लेवल अधिकारी मतदाता फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आग्रह स्लिप बांटने एवं सभी मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र बनवाने में सहयोग प्रदान करेंगे।

- 6.7.3 विभाग द्वारा बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देशिका उपलब्ध करवाई गई हैं। इनके द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सूचना नियमित रूप से प्रेषित करने के विषय में प्रक्रिया भी सुदृढ बनाई गई है। इसके अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक बीएलओ को "बीएलओ किट" जिसके अन्तर्गत उन्हें बैग एवं स्टेशनरी सामग्री दी जाएगी इस हेतु कुल 1.45 करोड़ रुपये राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध करवायी गई हैं।
- 6.7.4 विधानसभा क्षेत्रवार बीएलओ के नामों की सूची विभाग की वेबसाईट <http://ceorajasthan.nic.in> पर उपलब्ध है।
- 6.8 **सम्भागीय आयुक्त रोल्स पर्यवेक्षक :-** भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी सम्भागीय आयुक्तों को दिनांक 9 जुलाई, 2008 को निर्देश जारी कर रोल्स पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। इन रोल्स पर्यवेक्षकों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 में आयोग को प्रदत्त शक्तियों एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा '20बी' के अन्तर्गत की गयी है। उक्त रोल पर्यवेक्षक अपने कार्य का निर्वहन करते समय भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण के अधीन माने जायेंगे। सम्भागीय आयुक्तगणों को मतदाता सूचियों के कार्य के साथ मतदाता फोटो पहचान पत्रों के कार्य का पर्यवेक्षण आदि कार्य भी सौंपे गये है। सम्भागीय आयुक्तगणों को अब स्थायी रूप से रोल्स पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। सम्भागीय आयुक्तगणों से मतदाता सूचियों के स्वास्थ्य परीक्षण के कार्य की अपेक्षा भी की गयी है। अर्हता दिनांक 1.1.2012 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान आयोग ने सभी रोल पर्यवेक्षकों से उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले जिलों का तीन बार यथा मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दावे/आपत्तियाँ प्राप्त करने की अंतिम दिनांक तक प्रथम भ्रमण, दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की अंतिम दिनांक तक द्वितीय भ्रमण एवं पूरक सूचियों के मुद्रण एवं अंतिम प्रकाशन की तिथि तक तृतीय भ्रमण करने के निर्देश दिए थे। राज्य में सभी रोल पर्यवेक्षकों द्वारा आयोग के निर्देशों की पालना करते हुए रिपोर्ट यथा समय विभाग को प्रेषित की गई जो भारत निर्वाचन आयोग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई।
- 6.9 **बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं की नियुक्ति -** भारत निर्वाचन आयोग ने माह नवम्बर, 2008 में निर्देश जारी कर सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल एवं मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के अध्यक्ष एवं सचिवगणों को पत्र प्रेषित कर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर निर्वाचन के समय नियुक्त किये जाने वाले पोलिंग एजेन्टों की भाँति मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं की नियुक्ति करने हेतु लिखा गया। आयोग के उक्त निर्देशों के क्रम में विभाग द्वारा भी राज्य के सभी मान्यता प्राप्त

राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित कर एवं इसके पश्चात् पत्र प्रेषित कर राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं की नियुक्ति करने हेतु आग्रह किया गया। राज्य में इण्डियन नेशनल कांग्रेस द्वारा कुल 6046 बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं की नियुक्ति की गयी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुल 4098 एवं अन्य दलों द्वारा 2009 बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं की नियुक्ति की गयी। भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 25 नवम्बर, 2010 को सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को पत्र प्रेषित कर बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं की नियुक्ति के संबंध में अवगत कराया है कि उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं की नियुक्ति किया जाना आवश्यक नहीं है। यदि किसी राजनैतिक दल द्वारा एक बार मतदान केन्द्र के लिए बूथ स्तरीय अभिकर्ता की नियुक्ति की गई है वह तब तक मान्य होगी जब तक की उक्त नियुक्ति वापस नहीं ली जाती है या बूथ स्तरीय अभिकर्ता उस मतदान केन्द्र का मतदाता नहीं रहता है। इस विषय में विभाग द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को अवगत कराया गया।

- 6.10 परिसीमित विधानसभा/निर्वाचन क्षेत्र के नक्शों – भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2006 के द्वारा राजस्थान राज्य के विधानसभा/लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया गया है। विभाग द्वारा विधानसभा/लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के नक्शों तैयार करवाने का कार्य राजस्थान स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, जोधपुर द्वारा करवाया गया। विधानसभा क्षेत्रवार पृथक-पृथक से एवं जिलेवार नए एवं पुराने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रंगीन एवं श्वेत-श्याम नक्शे तैयार करवाये गये जिनमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में राजस्व ग्राम तक यूनिट को भी दर्शाया गया है। उक्त नक्शे विभाग की वेबसाइट <http://ceorajasthan.nic.in> पर भी उपलब्ध है।



## 7. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन :-

### 7.1 कानूनी प्रावधान :

संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन अब तक मतपत्रों और मतपेटियों की परम्परागत पद्धति के अधीन किए जाते रहे हैं। संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1989 के द्वारा धारा 61क जोड़ कर दिनांक 15.03.1989 को मतदान मशीनों के प्रयोग के लिए कानूनी मान्यता प्रदान की है।

### 7.2 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतदान करने का एक सशक्त माध्यम :

भारत निर्वाचन आयोग ने वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति का लाभ उठाते हुये चुनाव प्रक्रिया में सुधार के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से मतदान कराने का निर्णय लिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एक आधुनिक माइक्रो कम्प्यूटर और लार्ज स्केल इन्टीग्रेसन चिप प्रयुक्त है। मशीन बैटरी के द्वारा परिचालित की जाती है और कहीं भी व किसी भी परिस्थिति में उपयोग में लाई जा सकती है। यह त्रुटिरहित और संचालित करने में सरल है। इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि मतपेटियों के समान मतदान पद्धति की समस्त अनिवार्य विशेषतायें अक्षुण्ण रहे। नवीन पद्धति में मतदाता को बैलेटिंग यूनिट पर लगे मतपत्र पर अपनी पसन्द के अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने लगे बटन को दबाना होता है।

7.3 यदि आज इस बात का विश्लेषण किया जाए कि मतपेटियों के माध्यम से मतदान कराने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों ने अपने आप को गत आम चुनावों के दौरान नयी व्यवस्था के अनुकूल ढाल लिया है या नहीं तथा अशिक्षित मतदाता द्वारा मतदान मशीन के माध्यम से अपना मत रिकार्ड करने में कोई परेशानी हुई है तो यह विदित होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से मतदान कराने में इससे जुड़े अधिकारियों / कर्मचारियों ने दक्षता प्राप्त कर ली है।

7.4 राज्य में वर्ष 2003 के विधानसभा आम चुनाव एवं वर्ष 2004 के लोक सभा आम चुनावों में सभी मतदान केन्द्रों पर ईवीएम का प्रयोग किया गया है तथा इससे पूर्व कई विधानसभा/लोकसभा के उप चुनावों में ईवीएम के माध्यम से मतदान करवाए गए। विगत विधानसभा आम चुनाव, 2008 एवं लोकसभा आमचुनाव, 2009 एवं इसके बाद सम्पन्न विधानसभा उप चुनाव के दौरान भी मतदान ई.वी.एम. के माध्यम से करवाये गये।

### 7.5 ई.वी.एम. की उपलब्धता एवं भौतिक सत्यापन :

वर्ष 2002 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य को 48,000 एवं वर्ष 2003 में 2050 ई.वी.एम. का आवंटन किया था। इस प्रकार राज्य में 50,050 ई.वी.एम.

उपलब्ध करवाई गयी, जिनको मतदान केन्द्रों की संख्या एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों की आवश्यकता के अनुसार आवंटन किया गया। लोकसभा/विधानसभा आम चुनाव के दौरान आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम का स्थानान्तरण राज्य में एवं राज्य के बाहर किया गया था। वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 49567 कंट्रोल यूनिट एवं 51362 बैलट यूनिट उपलब्ध हैं।

7.5.1 राज्य निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर नगरपालिकाओं के चुनावों हेतु आयोग से अनुमति मिलने के बाद 13,000 कंट्रोल यूनिट 22,000 बैलट यूनिट विभाग द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करवाई गई। इसी प्रकार से नगरपालिकाओं के आम चुनाव दिसम्बर, 2010 व नगर परिषद के उप चुनावों हेतु आयोग के अनुरोध पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1,200 कंट्रोल यूनिट एवं 1,650 बैलट यूनिट राज्य निर्वाचन आयोग को ईवीएम उपलब्ध करवायी गई।

7.5.2 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिलों को आवंटित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का वर्ष में 4 बार भौतिक सत्यापन किये जाने के निर्देश है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा इस कार्य के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है जिसमें उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अध्यक्ष), कोषाधिकारी (सदस्य) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित एक अधिकारी (सदस्य) है।

## 8. मतदाता फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम : –

- 8.1 भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना दिनांक 28 अगस्त 1993 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत जन प्रतिनिधियों के चयन में मतदाताओं की आंकाक्षा का सही प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए अनाधिकृत मतदाताओं द्वारा मत दिये जाने की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से प्रत्येक मतदाता को फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार मतदाताओं को प्रथम बार मतदाता फोटो पहचान पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा-निर्देशानुसार किसी मतदाता को जारी फोटो पहचान पत्र गुम हो जाने, मतदाता के नये स्थान पर मतदाता सूची में पंजीकृत होने पर निवास स्थान में परिवर्तन होने तथा पहचान पत्र के कटे, फटे एवं विकृत होने के कारण मतदाता दूसरा पहचान पत्र बनाना चाहता है तो राशि 25/- रु. शुल्क देकर डुप्लीकेट परिचय पत्र बनवा सकता है। इसके अतिरिक्त पहचान पत्र पर गलत/अस्पष्ट फोटोग्राफ होने, पहचान पत्र में अशुद्ध प्रविष्टियाँ होने, मतदाता का पहचान पत्र क्रमांक मतदाता सूची में दर्ज होने पर भी मतदाता द्वारा पहचान पत्र प्राप्त न होने का दावा करने तथा मतदाता द्वारा पहचान पत्र के बाढ़, दंगे, भूकम्प आदि आपदाओं में नष्ट होने का दावा करने पर निःशुल्क नया पहचान पत्र बनवा सकता है।
- 8.2 राज्य में मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र तैयार कर उपलब्ध कराये जाने के लिए विभाग द्वारा वर्ष 1995 से अब तक फोटोग्राफी कार्यक्रम के छः चरण आयोजित किये गये हैं। वर्तमान में सातवाँ चरण प्रगति पर है। विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार मतदाताओं को पहचान पत्र उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक चरण में अनेक फोटोग्राफी के चक्र सम्पन्न कराए जाते हैं। फोटो प्रारूप मतदाता सूची, 2012 के अनुसार वर्तमान में राज्य में 96.22 प्रतिशत मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराए जा चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार शत प्रतिशत मतदाताओं को पहचान पत्र उपलब्ध कराने हेतु कार्यक्रम का सातवाँ चरण मई, 2011 से प्रारम्भ किया गया है। इसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय पर पहचान पत्र से अवशेष रहे मतदाताओं को पहचान पत्र उपलब्ध कराने हेतु प्रतिमाह 2 दिवसीय फोटोग्राफी शिविरों का आयोजन किया जाकर पहचान पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा साथ ही नये मतदाताओं द्वारा प्रपत्र सं. 6 में आवेदन करने पर मतदाता सूची में उनके नाम जोड़े जाकर फोटोग्राफ्स से पहचान पत्र तैयार कर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- 8.3 भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता फोटो पहचान पत्र के आकार में मामूली परिवर्तन किया है तथा मतदाता सूची में नए पंजीकृत होने वाले मतदाताओं को आवेदन के साथ मतदाता पहचान पत्र बनवाने हेतु फोटो प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की है जिससे मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बाद उसे फोटो पहचान पत्र जारी किया जा सके।

- 8.4 मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम, 2012 के दौरान लगभग 9.73 लाख नये मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाकर इनसे प्राप्त फार्म सं. 6 से पहचान पत्र तैयार कर अधिकांश पहचान पत्रों का वितरण दिनांक 25 जनवरी, 2012 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर संबंधित मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार युवा मतदाताओं की निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से दिनांक 5 से 15 जनवरी, 2012 तक नाम जुड़वाने हेतु विशेष अभियान चलाया गया। इसमें लगभग 4.35 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गये तथा इनमें पहचान पत्र तैयार कर वितरण किया जा रहा है।
- 8.5 फोटो पहचान पत्र की उपयोगिता केवल मतदान के समय मतदाता की पहचान स्थापित करने तक ही सीमित नहीं है अपितु राज्य सरकार द्वारा इसे बहुउद्देशीय बनाया गया है एवं इसे विभिन्न सरकारी योजनाओं में व्यक्ति की पहचान के रूप में मान्य किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दौरान मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए इसे उपयोग में लिया जा रहा है।

## 9. वैब आधारित वोटर हैल्प लाईन सिस्टम :-

अर्हता दिनांक 1.1.2012 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर करने के साथ-साथ विभागीय वेबसाईट (<http://ceorajasthan.nic.in>) पर दिनांक 01 अक्टूबर, 2011 को किया गया। विभागीय वेबसाईट पर पूर्व से पंजीकृत मतदाताओं को अपना नाम तलाश करने की सुविधा भी प्रदान की गई। इस सुविधा के अनुसार कोई भी पंजीकृत मतदाता अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र नम्बर अंकित कर या अपना नाम अंकित कर अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/मतदान केन्द्र एवं मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टि के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

अर्हता दिनांक 1.1.2012 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 5 जनवरी, 2012 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियां विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है तथा वेबसाईट पर पंजीकृत मतदाताओं को अपना नाम तलाश कराने की सुविधा भी उपलब्ध है।

10. मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम की जानकारी देने हेतु प्रचार-प्रसार :-

इस वित्तीय वर्ष में अर्हता दिनांक 1.1.2012 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया तथा मतदाता फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम संचालित किया गया। इन कार्यक्रमों की आम नागरिकों को जानकारी देने हेतु विभाग द्वारा एक-एक मिनट के दो टीवी स्पॉट तैयार करवाये गये तथा इसका प्रसारण जिला स्तर पर केबल नेटवर्क के माध्यम से एवं राज्य स्तर पर दूरदर्शन एवं अन्य टीवी चैनलों के माध्यम से करवाया गया। दूरदर्शन पर विभागीय अधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) कार्यालय के अधिकारियों के साथ समय-समय पर चर्चा/वार्ताओं का प्रसारण किया गया। राज्य एवं जिला स्तर पर प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग्स आदि लगाकर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी आम नागरिकों को दी गयी। पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन भी जारी किए गये।

**11. प्रकाशन/मुद्रण :-**

आलोच्य अवधि में विभाग द्वारा निम्न पुस्तकों का प्रकाशन/मुद्रण का कार्य किया गया :-

1. पदाभिहित अधिकारियों की निर्देशिका – 2012
2. बूथ लेवल अधिकारियों की पुस्तिका – 2011

## 12. राज्यसभा के चुनाव एवं उप चुनाव –

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान राज्य की तीन सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव इस वर्ष मार्च माह 2012 के अन्त में होना संभावित हैं।



### 13. निर्वाचन भण्डार (मुख्यालय) :-

- 13.1 निर्वाचन भण्डार मुख्यालय द्वारा विधानसभा एवं लोकसभा आम चुनाव/उपचुनाव संबंधी निर्वाचन सामग्री, साविधिक, असाविधिक फार्मों/लिफाफों, पुस्तकों तथा मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण, फोटो पहचान पत्रों की तैयारी में प्रयुक्त होने वाले फार्मों का मुद्रण, संग्रहण एवं वितरण जिला निर्वाचन अधिकारियों को उनकी आवश्यकता एवं मांग के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित फार्मों से अमिट स्याही, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उपयोग में ली जाने वाली एल्केलाईन बैटरियां, हरी कागजी मुद्रा, कन्ट्रोल यूनिट पर लगाए जाने वाली स्पेशल स्ट्रीप सील, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों /राज्यीय दलों एवं मुक्त प्रतीकों की उपलब्धता एवं आपूर्ति सुनिश्चित कर आवश्यकतानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) कार्यालयों को वितरण किया जाता है।
- 13.2 अर्हता दिनांक 1.1.2012 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रयुक्त होने वाले विभिन्न आवेदन पत्रों एवं पोस्टर्स के मुद्रण करवाकर यथा समय सभी जिलों को उपलब्ध करवाए गए।

## 14 संस्थापन : –

### 14.1 वरिष्ठता सूची :

विभाग में सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (निर्वाचन) के 1 पद सहित मंत्रालयिक सेवा संवर्ग में कार्यालय अधीक्षक का 1 पद, कार्यालय सहायक के 3 पद, वरिष्ठ लिपिक के 5 पद, कनिष्ठ लिपिक के 6 पद स्वीकृत हैं। अधीनस्थ सेवा संवर्ग में वरिष्ठ निजी सहायक का 1 पद, निजी सहायक का 1 पद, आशुलिपिक का 1 पद, 2 पद वाहन चालक, 1 पद मशीनमैन तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा संवर्ग में, 1 पद जमादार एवं 12 सहायक कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं। विभाग में स्वीकृत पदों में से सभी संवर्गों की दिनांक 1.4.2009 की स्थिति की वरिष्ठता सूचियाँ जारी की गई हैं।

### 14.2. पदोन्नति :

विभाग में कार्यालय अधीक्षक एवं सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (निर्वाचन) का 1-1 पद रिक्त है। माननीय सिविल सेवा अधिकरण द्वारा अपील संख्या 116/2004 में स्थगन दिये जाने के फलस्वरूप विगत वर्षों में इस पद को भरने हेतु विभाग की पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन नहीं किया जा सका है। सिविल सेवा अधिकरण द्वारा इस उक्त अपील में अन्तिम निर्णय पारित कर इसे खारीज कर दिया है। शीघ्र लिपिक से निजी सहायक के एक रिक्त पद सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (निर्वाचन) के एक पद एवं एक पद कार्यालय अध्यक्ष को पदोन्नति के माध्यम से भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन राज्य सरकार द्वारा डीपीसी की बैठकों पर आयोजन के क्रम में प्रतिबन्ध हटने के बाद किया जाएगा।

### 14.3 विभागीय जाँच :

विभाग में किसी कर्मचारी के विरुद्ध सीसीए नियमों के अन्तर्गत विभागीय जाँच लंबित नहीं है।

### 14.4 पेंशन प्रकरण :

पेंशन प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं।

15. लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति :

- 15.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की पालना में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य स्तर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी को क्रमशः लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी मनोनीत किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को क्रमशः लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी मनोनीत किया गया है।
- 15.2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मुख्यालय पर अपील प्राधिकारी एवं जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) को अपील प्राधिकारी पदाभिहित किया गया है।
- 15.3 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) के अन्तर्गत पुस्तिका तैयार कर विभाग की वैबसाइट (<http://ceorajasthan.nic.in>) पर उपलब्ध हैं।
- 15.4 वर्ष 2011-12 में 31 दिसम्बर, 2011 तक सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु 61 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, इनमें से सभी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया।
- 15.5 वर्ष 2011-12 में विभाग 31 दिसम्बर, 2011 तक अपील अधिकारी के समक्ष 6 अपील प्रस्तुत की गईं। इनमें से सभी अपीलों का निस्तारण किया गया है।

## 16. शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना :-

- 16.1 भारत निर्वाचन आयोग ने आम नागरिकों से निर्वाचन संबंधी प्राप्त शिकायतें यथा मतदाता सूची में नाम नहीं होना, मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं होना, उनके नाम असुविधाजनक मतदान केन्द्र में स्थानान्तरित कर दिया जाना, संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि के अलावा शेष अवधि में मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़ा जाना, चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी राजनैतिक दलों की शिकायतों आदि की तत्परता से निराकरण करने हेतु राज्य, जिला एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों में शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करने के निर्देश प्रदान किए थे।
- 16.2 भारत निर्वाचन आयोग के इन दिशा-निर्देशों के क्रम में विभाग ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करने के निर्देश प्रदान किए थे। जिला स्तर पर इन प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी प्रभारी अधिकारी बनाये गये।

17. **निर्वाचक नामावली एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु स्थापित राज्य स्तरीय कॉल सेन्टर** – भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में मतदाता सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा एक राज्य स्तरीय कॉल सेन्टर की स्थापना की है। उक्त कॉल सेन्टर दिनांक दिसम्बर, 2011 से क्रियाशील हो गया है। इस कॉल सेन्टर के माध्यम से राज्य की सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की उक्त समस्याओं को पंजीकृत करवाया जा सकता है। उक्त कॉल सेन्टर प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक प्रातः 9.30 बजे से सायः 5.00 बजे तक कार्यरत रहेगा। इस कॉल सेन्टर पर भारत दूर संचार निगम लिमिटेड के लैण्डलाइन दूरभाष नम्बर 0141-1950 पर एवं अन्य सभी मोबाइल अथवा लैण्ड लाईन दूरभाष से फोन नम्बर 0141-2211914 पर डायल कर सम्पर्क किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त विभाग ने मतदाताओं को ऑनलाइन माध्यम से भी उक्त समस्याओं को दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। ऑनलाइन माध्यम से उक्त समस्याओं के इन्द्राज हेतु संबंधित मतदाता को विभागीय वेबसाइट [www.ceorajasthan.nic.in](http://www.ceorajasthan.nic.in) पर उपलब्ध विकल्प "Register your complaints" का चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन करने पर स्क्रीन पर "नागरिक सेवा" (Citizen Services) का पेज उपलब्ध हो जायेगा। जिसमें मतदाता अपनी समस्या संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करा सकता है। इस माध्यम से समस्या दर्ज कराने से पूर्व संबंधित मतदाता को पंजीकरण किया जायेगा तत्पश्चात् उसकी समस्या दर्ज कर संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिये अग्रेषित कर दी जावेगी। विभाग ने उक्त व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु राज्य के सभी 33 जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर्स) एवं सभी 200 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के अकाण्ट इस प्रणाली में सृजित कर दिये हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली में विभाग द्वारा राज्य के सभी 42737 बूथ लेवल अधिकारियों के अकाण्ट भी सृजित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है जिससे मतदाता अपने बूथ लेवल अधिकारी से सीधे सम्पर्क में रहे तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निष्पादन किया जा सके।

## 18. लेखा : –

### 18.1. बजट :

विभाग द्वारा बजट मद 2015– निर्वाचन के विभिन्न उप मदों के अन्तर्गत 33 जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं मुख्यालय को बजट आवंटित कर व्यय का लेखा रखा जाता है। यह बजट मद आयोजना भिन्न है। इस बजट मद के उपमद 102–निर्वाचन अधिकारी, 103–मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण, 104–लोकसभा एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के एक साथ चुनाव कराने के लिये प्रभार एवं 108–मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना में किया गया व्यय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 प्रतिशत वहनीय है। उप मद 105–संसद के चुनाव कराने के लिये प्रभार से संबंधित है। इस मद में किया गया व्यय 100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहनीय है। उप मद 106–राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिये प्रभार में किया गया व्यय 100 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहनीय है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के वास्तविक व्यय एवं 2011–12 के अनुमान विवरण परिशिष्ट–6 पर संलग्न है ।

### 18.2 महालेखाकार के प्रतिवेदन :

अप्रैल, 2011 के प्रारम्भ में महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर के 23 प्रतिवेदनों में 61 अनुच्छेद बकाया थे। 01.04.2011 से 31.12.2011 की अवधि में 23 नये प्रतिवेदन प्राप्त हुए जिनमें 80 अनुच्छेद नये प्राप्त हुए इस अवधि में 5 आक्षेप निरस्त हुए। दिनांक 31.12.2011 को महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर के 46 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 136 अनुच्छेद बकाया हैं।

## 19. राष्ट्रीय मतदाता दिवस –

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 25 जनवरी, 2012 को सम्पूर्ण राष्ट्र में दूसरा राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह पूर्वक आयोजित करने के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुए। आयोग के निर्देशानुसार 25 जनवरी, 2012 से पूर्व राज्य के आम मतदाताओं एवं नागरिकों में निर्वाचन से संबंधित विभिन्न विषयों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग करते हुए जागरूकता अभियान चलाया जाना था जिससे कि दिनांक 25 जनवरी, 2012 को अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सकें। विभाग द्वारा इस क्रम में मल्टीमीडिया प्लान तैयार किया गया तथा इसके अनुसार व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की जिला ईकाईयों के माध्यम से फील्ड पब्लिसिटी की गयी जिसके अन्तर्गत लघु फिल्मों का प्रदर्शन, पोस्टर्स का प्रदर्शन, स्कूली छात्र-छात्राओं में निर्वाचन से संबंधित विषयों पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन आदि कार्य किये गये। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में राष्ट्रीय मतदाता दिवस से संबंधित लघु फिल्मों का प्रसारण स्थानीय केबल नेटवर्क के माध्यम से किया गया। राज्य स्तर से लघु फिल्मों का प्रसारण दूरदर्शन एवं ईटीवी के माध्यम से किया गया।

आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 25 जुलाई, 2012 को राज्य के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर समारोह आयोजित कर अर्हता दिनांक 01.01.2012 के संदर्भ में अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं, विशेषकर 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं का अभिनन्दन कर उन्हें मतदाता फोटों पहचान पत्र उपलब्ध कराये गये। इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी पंजीकृत मतदाताओं एवं अन्य व्यक्तियों को आयोग द्वारा निर्धारित बैज भी लगाये गये जिस पर 'मतदाता होने पर गर्व-मतदान के लिए तैयार' अंकित किया गया।


राज्य के सभी जिलों में जिला मुख्यालय एवं सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय मुख्यालय पर इसी प्रकार के आयोजन सामान्यतः कॉलेज/स्कूल में आयोजित किये गये तथा नये पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र एवं बैज वितरित किये गये।

राज्य स्तरीय समारोह निर्वाचन विभाग एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) के संयुक्त तत्वावधान में जवाहर कला केन्द्र, जयपुर में आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम के दौरान दिनांक 25 जनवरी, 2012 को समारोह के मुख्य अतिथि श्री ए.के. पाण्डेय, राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया तथा सभागार में आयोजित समारोह जिसमें कि जयपुर स्थित विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को आमंत्रित किया गया था, को राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा सम्बोधित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान नये पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र वितरित किये गये तथा इसके अतिरिक्त उपस्थित सभी जनसमुदाय को शपथ दिलाई गयी।

सम्पूर्ण राज्य में एक राज्य स्तरीय समारोह, सभी जिलों मुख्यालयों 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मुख्यालयों पर तथा 32,925 मतदान केन्द्र लोकेशनों पर समारोह आयोजित कर नये पंजीकृत मतदाताओं का अभिनन्दन कर उन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र एवं बैज उपलब्ध कराये गये तथा शपथ दिलायी गयी।

## प्रशासनिक संरचना





परिशिष्ट-2

निर्वाचन विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत/रिक्त पदों की स्थिति  
(31जनवरी, 2012)

पद का नाम	कुल पद	नियुक्त	रिक्त	विशेष विवरण
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन प्रमुख शासन सचिव	1	1	-	-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन उप शासन सचिव	1	1	-	-
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी)	1	1	-	-
मुख्य लेखाधिकारी	1	1	-	-
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (स्टोर)	1	1	-	-
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (चुनाव)	1	-	1	-
सहायक लेखाधिकारी	2	2	-	-
वरिष्ठ निजी सहायक	1	-	1	माह नवम्बर, 2008 से रिक्त
कार्यालय अधीक्षक	1	-	1	डी.पी.सी की बैठक आयोजित नहीं होने के कारण
लेखाकार	2	2	-	-
प्रोग्रामर	2	1	1	-
निजी सहायक	1	-	1	माह मार्च, 2001 से रिक्त
आशुलिपिक	1	1	-	-
सांख्यिकी सहायक	1	1	-	-
कार्यालय सहायक	3	3	-	-
कनिष्ठ लेखाकार	4	4	-	-
विधि सहायक	1	1	-	-
वरिष्ठ लिपिक	5	5	-	-
सहायक प्रोग्रामर	3	3	-	-
कनिष्ठ लिपिक	6	6	-	-
वाहन चालक	2	2	-	-
मशीन मैन	1	1	-	-
जमादार	1	1	-	-
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	12	12	-	-
<b>योग :</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	

## जिला निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों में

## स्वीकृत पदों की जिलेवार स्थिति

क्र. सं.	जिले का नाम	तहसीलदार (निर्वाचन)	जिला निर्वाचन अधिकारी					निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी		
			कार्यालय सहायक	वरिष्ठ लिपिक	कनिष्ठ लिपिक	पटवारी	सहायक कर्मचारी	वरिष्ठ लिपिक	कनिष्ठ लिपिक	सहायक कर्मचारी
1	अजमेर	1	1	—	2	1	—	5	4	5
2	अलवर	1	1	—	3	—	—	7	4	6
3	बाँसवाड़ा	1	—	1	1	—	—	2	3	2
4	बारां	1	—	1	2	—	—	3	1	3
5	बाड़मेर	1	—	1	2	—	—	2	5	2
6	भरतपुर	1	1	—	2	—	1	4	3	2
7	भीलवाड़ा	1	1	—	2	—	—	5	2	6
8	बीकानेर	1	1	—	1	—	—	4	3	4
9	बूँदी	1	—	1	1	—	—	1	2	1
10	चित्तौड़गढ़	1	1	1	1	—	—	4	—	5
11	चूरु	1	1	—	2	1	—	3	3	3
12	दौसा	1	—	2	3	—	—	4	1	4
13	धौलपुर	1	—	2	1	—	—	2	2	2
14	डूंगरपुर	1	—	1	1	—	1	2	2	1
15	गंगानगर	1	1	—	1	—	—	4	2	4
16	हनुमानगढ़	1	—	1	2	—	—	3	2	2
17	जयपुर	1	1	1	3	—	1	10	9	10
18	जैसलमेर	1	—	1	1	—	—	1	1	1
19	जालौर	1	—	1	1	—	—	2	3	2
20	झालावाड़	1	1	—	2	1	—	3	1	3
21	झुन्झुनूँ	1	1	—	2	—	—	3	4	3
22	जोधपुर	1	1	—	2	—	—	4	6	3
23	करौली	1	—	1	1	—	—	2	2	2

क्र. सं.	जिले का नाम	तहसीलदार (निर्वाचन)	जिला निर्वाचन अधिकारी					निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी		
			कार्यालय सहायक	वरिष्ठ लिपिक	कनिष्ठ लिपिक	पटवारी	सहायक कर्मचारी	वरिष्ठ लिपिक	कनिष्ठ लिपिक	सहायक कर्मचारी
24	कोटा	1	1		3	—	2	4	2	1
25	नागौर	1	1	2	—	—	1	3	7	3
26	पाली	1	1	—	2	—	—	4	2	4
27	राजसमन्द	1	—	1	3	—	—	3	1	3
28	सवाईमाधोपुर	1	1	—	1	—	—	2	2	2
29	सीकर	1	—	1	2	—	—	3	5	3
30	सिरोही	1	—	1	1	—	1	2	1	1
31	टोंक	1	—	1	1	—	1	1	3	—
32	उदयपुर	1	1	—	2	—	—	4	4	4
	<b>(योग-398)</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>107</b>	<b>92</b>	<b>98</b>

नोट:- नवीन जिला प्रतापगढ़ के सृजन के बाद जिले की निर्वाचन शाखा में 1 अस्थाई पद कार्यालय सहायक, एक कम्प्यूटर आपरेटर एवं 2 पद सहायक कर्मचारियों के संविदा के आधार पर स्वीकृत किए गए।

परिशिष्ट-4

परिसीमन आदेश संख्या 16 दिनांक 25 जनवरी, 2006 के अनुसार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उनमें सम्मिलित (19 फरवरी, 2008 से लागू) लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की स्थिति

<b>1</b>	<b>गंगानगर (अ.जा.)</b>	<b>6</b>	<b>जयपुर ग्रामीण</b>	<b>11</b>	<b>दौसा (अ.ज.जा.)</b>	<b>16</b>	<b>जोधपुर</b>	<b>21</b>	<b>चित्तौड़गढ़</b>
1.	सादुलशहर	40.	कोटपूतली	57.	बस्सी (अ.ज.जा.)	122.	फलौदी	154.	मावली
2.	गंगानगर	41.	विराटनगर	58.	चाकसू (अ.जा.)	123.	लोहावट	155.	वल्लभनगर
3.	करणपुर	42.	शाहपुरा	64.	थानागाजी	124.	शेरगढ़	167.	कपासन (अ.जा.)
4.	सूरतगढ़	44.	फुलेरा	85.	बांदीकुई	127.	सरदारपुरा	168.	बेंगू
5.	रायसिंहनगर (अ.जा.)	46.	झोटवाड़ा	86.	महवा	128.	जोधपुर	169.	चित्तौड़गढ़
7.	संगरिया	47.	आमेर	87.	सिकराय (अ.जा.)	129.	सूरसागर	170.	निम्बाहेड़ा
8.	हनुमानगढ़	48.	जमवारामगढ़ (अ.ज.जा.)	88.	दौसा	130.	लूणी	171.	बड़ी सादड़ी
9.	पीलीबंगा (अ.जा.)	63.	बानसूर	89.	लालसोट (अ.ज.जा.)	133.	पोकरण	172.	प्रतापगढ़ (अ.ज.जा.)
<b>2</b>	<b>बीकानेर (अ.जा.)</b>	<b>7</b>	<b>जयपुर</b>	<b>12</b>	<b>टोंक-सवाईमाधोपुर</b>	<b>17</b>	<b>बाडमेर</b>	<b>22</b>	<b>राजसमन्द</b>
6.	अनूपगढ़ (अ.जा.)	49.	हवा महल	90.	गंगापुर	132.	जैसलमेर	103.	ब्यावर
12.	खाजूवाला (अ.जा.)	50.	विद्याधर नगर	91.	बामनवास (अ.ज.जा.)	134.	शिव	111.	मेड़ता (अ.जा.)
13.	बीकानेर पश्चिम	51.	सिविल लाईन्स	92.	सवाई माधोपुर	135.	बाडमेर	112.	डेगाना
14.	बीकानेर पूर्व	52.	किशन पोल	93.	खण्डार (अ.जा.)	136.	बायतू	116.	जैतारण
15.	कोलायत	53.	आदर्श नगर	94.	मालपुरा	137.	पचपदरा	173.	भीम
16.	लूणकरणसर	54.	मालवीय नगर	95.	निवाई (अ.जा.)	138.	सिवाना	174.	कुम्भलगढ़
17.	डूंगरगढ़	55.	सांगानेर	96.	टोंक	139.	गुड़ा मालानी	175.	राजसमन्द
18.	नोखा	56.	बगरू (अ.जा.)	97.	देवली-उनियारा	140.	चोहटन (अ.जा.)	176.	नाथद्वारा
<b>3</b>	<b>चूरू</b>	<b>8</b>	<b>अलवर</b>	<b>13</b>	<b>अजमेर</b>	<b>18</b>	<b>जालोर</b>	<b>23</b>	<b>भीलवाड़ा</b>
10.	नोहर	59.	तिजारा	45.	दूदू (अ.जा.)	141.	आहोर	177.	आसीन्द
11.	भादरा	60.	किशनगढ़बास	98.	किशनगढ़	142.	जालोर (अ.जा.)	178.	माण्डल
19.	सादुलपुर	61.	मुण्डावर	99.	पुष्कर	143.	भीनमाल	179.	सहाड़ा
20.	तारानगर	62.	बहरोड़	100.	अजमेर उत्तर	144.	सांचोर	180.	भीलवाड़ा
21.	सरदारशहर	65.	अलवर ग्रामीण (अ.जा.)	101.	अजमेर दक्षिण(अ.जा.)	145.	रानीवाड़ा	181.	शाहपुरा (अ.जा.)
22.	चूरू	66.	अलवर शहर	102.	नसीराबाद	146.	सिरोही	182.	जहाजपुर
23.	रतनगढ़	67.	रामगढ़	104.	मसूदा	147.	पिंडवाड़ा आबू (अ.ज.जा.)	183.	माण्डलगढ़
24.	सुजानगढ़ (अ.जा.)	68.	राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ (अ.ज.जा.)	105.	केकड़ी	148.	रेवदर (अ.जा.)	184.	हिण्डोली
<b>4</b>	<b>झुन्झुनू</b>	<b>9</b>	<b>भरतपुर (अ.जा.)</b>	<b>14</b>	<b>नागौर</b>	<b>19</b>	<b>उदयपुर (अ.ज.जा.)</b>	<b>24</b>	<b>कोटा</b>
25.	पिलानी (अ.जा.)	69.	कटूमर (अ.जा.)	106.	लाडनू	149.	गोगून्दा (अ.ज.जा.)	185.	केशोरायपाटन (अ.जा.)
26.	सूरजगढ़	70.	कामां	107.	डीडवाना	150.	झाडोल (अ.ज.जा.)	186.	बून्दी
27.	झुन्झुनू	71.	नगर	108.	जायल (अ.जा.)	151.	खेरवाड़ा (अ.ज.जा.)	187.	पीपल्दा
28.	मंडावा	72.	डीग-कुम्हेर	109.	नागौर	152.	उदयपुर ग्रामीण (अ.ज.जा.)	188.	सांगोद
29.	नवलगढ़	73.	भरतपुर	110.	खींसर	153.	उदयपुर	189.	कोटा उत्तर
30.	उदयपुरवाटी	74.	नदबई	113.	मकराना	156.	सलूमबर (अ.ज.जा.)	190.	कोटा दक्षिण
31.	खेतड़ी	75.	वैर (अ.जा.)	114.	परबतसर	157.	धरियावद (अ.ज.जा.)	191.	लाडपुरा
32.	फतेहपुर	76.	बयाना (अ.जा.)	115.	नांवा	159.	आसपुर (अ.ज.जा.)	192.	रामगंज मण्डी (अ.जा.)
<b>5</b>	<b>सीकर</b>	<b>10</b>	<b>करौली-धौलपुर (अ.जा.)</b>	<b>15</b>	<b>पाली</b>	<b>20</b>	<b>बांसवाड़ा (अ.ज.जा.)</b>	<b>25</b>	<b>झालावाड़-बारां</b>
33.	लक्ष्मणगढ़	77.	बसेडी (अ.जा.)	117.	सोजत (अ.जा.)	158.	डूंगरपुर (अ.ज.जा.)	193.	अंता
34.	धोद (अ.जा.)	78.	बाड़ी	118.	पाली	160.	सागवाड़ा (अ.ज.जा.)	194.	किशनगंज (अ.ज.जा.)
35.	सीकर	79.	धौलपुर	119.	मारवाड़ जंक्शन	161.	चौरासी (अ.ज.जा.)	195.	बारां-अटरू (अ.जा.)
36.	दांता रामगढ़	80.	राजाखड़ा	120.	बाली	162.	घाटोल (अ.ज.जा.)	196.	छबड़ा
37.	खंडेला	81.	टोडाभीम (अ.ज.जा.)	121.	सुमेरपुर	163.	गढ़ी (अ.ज.जा.)	197.	डग (अ.जा.)
38.	नीम का थाना	82.	हिन्दौन (अ.जा.)	125.	ओसियां	164.	बांसवाड़ा (अ.ज.जा.)	198.	झालारापाटन
39.	श्रीमाधोपुर	83.	करौली	126.	भोपालगढ़ (अ.जा.)	165.	बागीदोरा (अ.ज.जा.)	199.	खानपुर
43.	चोमू	84.	सपोटरा (अ.ज.जा.)	131.	बिलाड़ा (अ.जा.)	166.	कुशलगढ़ (अ.ज.जा.)	200.	मनोहर थाना

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी  
एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी की सूची- (जनवरी-2012)

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3
1. सादुलशहर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर	1. तहसीलदार, श्रीगंगानगर 2. तहसीलदार, सादुलशहर
2. गंगानगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर	1. तहसीलदार, श्रीगंगानगर 2. आयुक्त, नगर परिषद, श्रीगंगानगर,
3. करणपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, करणपुर	1. तहसीलदार, करणपुर 2. तहसीलदार, पदमपुर
4. सूरतगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़	1. तहसीलदार, सूरतगढ़ 2. तहसीलदार, विजयनगर
5. रायसिंहनगर (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर	1. तहसीलदार, रायसिंहनगर 2. तहसीलदार, विजयनगर 3. तहसीलदार, अनूपगढ़
6. अनूपगढ़ (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़	1. तहसीलदार, अनूपगढ़ 2. तहसीलदार, घड़साना
7. संगरिया	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया	1. तहसीलदार, संगरिया 2. तहसीलदार, टिब्बी
8. हनुमानगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़	तहसीलदार, हनुमानगढ़
9. पीलीबंगा (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा	1. तहसीलदार, पीलीबंगा 2. तहसीलदार, रावतसर 3. तहसीलदार, हनुमानगढ़
10. नोहर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नोहर	1. तहसीलदार, नोहर 2. तहसीलदार, रावतसर
11. भादरा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भादरा	1. तहसीलदार, भादरा 2. तहसीलदार, नोहर
12. खाजूवाला (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खाजूवाला	1. तहसीलदार, खाजूवाला 2. तहसीलदार, पूगल 3. तहसीलदार, छत्तरगढ़ 4. तहसीलदार, बीकानेर
13. बीकानेर पश्चिम	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), बीकानेर	उप पंजीयक, बीकानेर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3
14. बीकानेर पूर्व	उपखण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बीकानेर	तहसीलदार, बीकानेर
15. कोलायत	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोलायत	1. तहसीलदार, कोलायत 2. तहसीलदार, बीकानेर
16. लूणकरणसर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, लूणकरणसर	1. तहसीलदार, लूणकरणसर 2. तहसीलदार, बीकानेर
17. डूंगरगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगरगढ़	1. तहसीलदार, डूंगरगढ़ 2. तहसीलदार, नोखा
18. नोखा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नोखा	तहसीलदार, नोखा
19. सादुलपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ़ (चूरु)	तहसीलदार, राजगढ़ (चूरु)
20. तारानगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, तारानगर	1. तहसीलदार, तारानगर 2. तहसीलदार, राजगढ़ 3. तहसीलदार, सरदारशहर
21. सरदारशहर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सरदारशहर	1. तहसीलदार, सरदारशहर 2. तहसीलदार, रतनगढ़
22. चूरु	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चूरु	तहसीलदार, चूरु
23. रतनगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रतनगढ़	1. तहसीलदार, रतनगढ़ 2. तहसीलदार, सुजानगढ़
24. सुजानगढ़ (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़	तहसीलदार, सुजानगढ़
25. पिलानी (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चिड़ावा	तहसीलदार, चिड़ावा
26. सूरजगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बुहाना	1. तहसीलदार, बुहाना 2. तहसीलदार, चिड़ावा
27. झुन्झुनू	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	1. तहसीलदार, झुन्झुनू 2. तहसीलदार, चिड़ावा
28. मंडावा	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनू	तहसीलदार, झुन्झुनू
29. नवलगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नवलगढ़	तहसीलदार, नवलगढ़

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3
30. उदयपुरवाटी	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी	तहसीलदार, उदयपुरवाटी
31. खेतड़ी	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खेतड़ी	तहसीलदार, खेतड़ी
32. फतेहपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, फतेहपुर	तहसीलदार, फतेहपुर
33. लक्ष्मणगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़	तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़
34. धोद (अ.जा.)	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सीकर	सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, सीकर
35. सीकर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सीकर	तहसीलदार, सीकर
36. दांता रामगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, दांता रामगढ़	तहसीलदार, दांता रामगढ़
37. खंडेला	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, खंडेला	तहसीलदार, श्रीमाधोपुर
38. नीम का थाना	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नीम का थाना	तहसीलदार, नीम का थाना
39. श्रीमाधोपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर	तहसीलदार, श्रीमाधोपुर
40. कोटपूतली	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोटपूतली	तहसीलदार, कोटपूतली
41. विराटनगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, विराटनगर	1. तहसीलदार, विराटनगर 2. तहसीलदार, कोटपूतली 3. तहसीलदार, शाहपुरा
42. शाहपुरा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	1. तहसीलदार, शाहपुरा 2. तहसीलदार, चौमूं
43. चौमूं	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं	तहसीलदार, चौमूं
44. फुलेरा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांभर	तहसीलदार, फुलेरा (मुख्यालय) सांभर
45. दूदू (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, दूदू	1. तहसीलदार, मोजमाबाद 2. तहसीलदार, फागी
46. झोटवाड़ा	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, जयपुर	1. उप पंजीयक चतुर्थ, जयपुर 2. तहसीलदार, फुलेरा (मुख्यालय) सांभर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3
47. आमेर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आमेर	तहसीलदार, आमेर
48. जमवारामगढ़ (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़	तहसीलदार, जमवारामगढ़
49. हवा महल	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर	तहसीलदार, कृषि भूमि रूपान्तरण, जयपुर
50. विद्याधर नगर	अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर (चतुर्थ)	उप पंजीयक (तृतीय) जयपुर
51. सिविल लाईन्स	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर	उप पंजीयक (द्वितीय) जयपुर
52. किशन पोल	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर	उप पंजीयक (प्रथम) जयपुर
53. आदर्श नगर	अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर (तृतीय)	तहसीलदार, जयपुर
54. मालवीय नगर	अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर	उप पंजीयक (पंचम) जयपुर
55. सांगानेर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, सांगानेर	उप पंजीयक (प्रथम) सांगानेर
56. बगरू (अ.जा.)	जिला रसद अधिकारी, जयपुर	तहसीलदार, सांगानेर
57. बस्सी (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी	1. तहसीलदार, बस्सी 2. तहसीलदार, चाकसू
58. चाकसू (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चाकसू	1. तहसीलदार, चाकसू 2. तहसीलदार, फागी
59. तिजारा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, तिजारा	तहसीलदार, तिजारा
60. किशनगढ़बास	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़बास	1. तहसीलदार, किशनगढ़बास 2. तहसीलदार, कोटकासिम
61. मुण्डावर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मुण्डावर	1. तहसीलदार, मुण्डावर 2. तहसीलदार, बहरोड़
62. बहरोड़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बहरोड़	तहसीलदार, बहरोड़
63. बानसूर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बानसूर	1. तहसीलदार, बानसूर 2. तहसीलदार, थानागाजी
64. थानागाजी	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी	1. तहसीलदार, थानागाजी 2. तहसीलदार, राजगढ़



विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3
65. अलवर ग्रामीण (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अलवर	तहसीलदार, अलवर
66. अलवर शहर	सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर	1. तहसीलदार, अलवर 2. उप पंजीयक, अलवर
67. रामगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रामगढ़	1. तहसीलदार रामगढ़ 2. तहसीलदार लक्ष्मणगढ़
68. राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ़	1. तहसीलदार, राजगढ़ 2. तहसीलदार लक्ष्मणगढ़
69. कटूमर (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कटूमर	1. तहसीलदार कटूमर 2. तहसीलदार लक्ष्मणगढ़
70. कामां	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कामां	1. तहसीलदार कामां 2. तहसीलदार, पहाड़ी
71. नगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नगर	1. तहसीलदार, नगर 2. तहसीलदार, डीग
72. डीग-कुम्हेर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डीग	1. तहसीलदार, डीग 2. तहसीलदार, कुम्हेर
73. भरतपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भरतपुर	तहसीलदार, भरतपुर
74. नदबई	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नदबई	1. तहसीलदार, नदबई 2. तहसीलदार, भरतपुर 3. तहसीलदार, रूपबास
75. वैर (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, वैर	1. तहसीलदार, वैर 2. तहसीलदार, बयाना
76. बयाना (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बयाना	1. तहसीलदार, बयाना 2. तहसीलदार, रूपबास
77. बसेड़ी (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बसेड़ी	1. तहसीलदार, बसेड़ी 2. तहसीलदार, बाड़ी
78. बाड़ी	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़ी	1. तहसीलदार, बाड़ी 2. तहसीलदार, सैपऊ
79. धौलपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, धौलपुर	1. तहसीलदार, धौलपुर 2. तहसीलदार, सैपऊ
80. राजाखेड़ा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा	1. तहसीलदार, राजाखेड़ा 2. तहसीलदार, धौलपुर
81. टोडाभीम (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, टोडाभीम	1. तहसीलदार, टोडाभीम 2. तहसीलदार, नादौती

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3
82. हिन्डौन (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, हिन्डौन	1. तहसीलदार, हिन्डौन 2. तहसीलदार, टोडाभीम
83. करौली	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, करौली	1. तहसीलदार, करौली 2. तहसीलदार, हिन्डौन
84. सपोटरा (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सपोटरा	1. तहसीलदार, सपोटरा 2. तहसीलदार, मन्डरायल 3. तहसीलदार, करौली
85. बांदीकुई	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बांदीकुई	तहसीलदार, बसवा
86. महवा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, महवा	1. तहसीलदार, महवा 2. तहसीलदार, बसवा
87. सिकराय (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सिकराय	1. तहसीलदार, सिकराय 2. तहसीलदार, दौसा
88. दौसा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, दौसा	तहसीलदार, दौसा
89. लालसोट (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, लालसोट	तहसीलदार, लालसोट
90. गंगापुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी	तहसीलदार, गंगापुर सिटी
91. बामनवास (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बामनवास	1. तहसीलदार, बामनवास 2. तहसीलदार, बाँली
92. सवाई माधोपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर	1. तहसीलदार, सवाई माधोपुर 2. तहसीलदार, मलारना डुंगर
93. खण्डार (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खण्डार	1. तहसीलदार, खण्डार 2. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा 3. तहसीलदार, सवाई माधोपुर
94. मालपुरा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मालपुरा	1. तहसीलदार, मालपुरा 2. तहसीलदार, टोडारायसिंह
95. निवाई (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, निवाई	1. तहसीलदार, निवाई 2. तहसीलदार, पीपलू
96. टोंक	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक	1. तहसीलदार, टोंक 2. तहसीलदार, टोडारायसिंह
97. देवली-उनियारा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, उनियारा	1. तहसीलदार, उनियारा (मुख्यालय) अलीगढ़ 2. तहसीलदार, देवली

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3
98. किशनगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़	1. तहसीलदार, किशनगढ़ 2. तहसीलदार, सरवाड़
99. पुष्कर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, अजमेर	1. तहसीलदार, अजमेर 2. तहसीलदार, किशनगढ़
100. अजमेर उत्तर	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) अजमेर	सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर
101. अजमेर दक्षिण (अ.जा.)	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर	उप पंजीयक (प्रथम) अजमेर
102. नसीराबाद	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नसीराबाद	1. तहसीलदार, नसीराबाद 2. तहसीलदार, पीसांगन
103. ब्यावर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, ब्यावर	तहसीलदार, ब्यावर
104. मसूदा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मसूदा	1. तहसीलदार, मसूदा 2. तहसीलदार, भिनाय
105. केकड़ी	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, केकड़ी	1. तहसीलदार, केकड़ी 2. तहसीलदार, सरवाड़
106. लाडनूं	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, लाडनूं	1. तहसीलदार, लाडनूं 2. तहसीलदार, डीडवाना
107. डीडवाना	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डीडवाना	तहसीलदार, डीडवाना
108. जायल (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जायल	1. तहसीलदार, जायल 2. तहसीलदार, नागौर
109. नागौर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर	तहसीलदार, नागौर
110. खींसर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खींसर	1. तहसीलदार, नागौर 2. तहसीलदार, खींसर 3. तहसीलदार, मेड़ता
111. मेड़ता (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मेड़ता	तहसीलदार, मेड़ता
112. डेगाना	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डेगाना	तहसीलदार, डेगाना
113. मकराना	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मकराना	तहसीलदार, मकराना
114. परबतसर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, परबतसर	1. तहसीलदार, परबतसर 2. तहसीलदार, नांवा

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम		निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1		2	3
115.	नावां	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नावां	1. तहसीलदार, नावां 2. अतिरिक्त तहसीलदार, कुचामन
116.	जैतारण	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण	1. तहसीलदार, जैतारण 2. तहसीलदार, रायपुर
117.	सोजत (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	1. तहसीलदार, सोजत 2. तहसीलदार, रायपुर
118.	पाली	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पाली	1. तहसीलदार, पाली 2. तहसीलदार, रोहट
119.	मारवाड़ जंक्शन	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मारवाड़ जंक्शन	1. तहसीलदार, देसूरी 2. तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन
120.	बाली	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बाली	1. तहसीलदार, बाली 2. तहसीलदार, देसूरी
121.	सुमेरपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर	1. तहसीलदार, सुमेरपुर 2. तहसीलदार, पाली
122.	फलौदी	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, फलौदी	तहसीलदार, फलौदी
123.	लोहावट	अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भू रू) जोधपुर	सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी तृतीय, जोधपुर
124.	शेरगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, शेरगढ़	तहसीलदार, शेरगढ़
125.	ओसियां	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, ओसियां	तहसीलदार, ओसियां
126.	भोपालगढ़ (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भोपालगढ़	1. तहसीलदार, भोपालगढ़ 2. तहसीलदार, जोधपुर
127.	सरदारपुरा	अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर	उप पंजीयक (द्वितीय) जोधपुर
128.	जोधपुर	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), जोधपुर	उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर
129.	सूरसागर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जोधपुर	तहसीलदार, जोधपुर
130.	लूणी	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, लूणी	1. तहसीलदार, लूणी 2. तहसीलदार, जोधपुर
131.	बिलाड़ा (अ.जा.)	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा	1. तहसीलदार, बिलाड़ा 2. तहसीलदार, जोधपुर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3
132. जैसलमेर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जैसलमेर	1. तहसीलदार, जैसलमेर 2. तहसीलदार, फतेहगढ़
133. पोकरण	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पोकरण	तहसीलदार, पोकरण
134. शिव	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, शिव	1. तहसीलदार, शिव 2. तहसीलदार, रामसर 3. तहसीलदार, चौहटन
135. बाड़मेर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़मेर	तहसीलदार, बाड़मेर
136. बायतू	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बायतू	1. तहसीलदार, बायतू 2. तहसीलदार, पचपदरा
137. पचपदरा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बालोतरा	तहसीलदार, पचपदरा
138. सिवाना	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सिवाना	1. तहसीलदार, सिवाना 2. तहसीलदार, गुड़ा मालानी
139. गुढा मालानी	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गुड़ा मालानी (मु0) बाड़मेर	तहसीलदार, गुढा मालानी
140. चौहटन (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चौहटन	तहसीलदार, चौहटन
141. आहोर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आहोर	1. तहसीलदार, आहोर 2. तहसीलदार, जालोर
142. जालोर (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जालोर	1. तहसीलदार, जालोर 2. तहसीलदार, सायला
143. भीनमाल	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भीनमाल	1. तहसीलदार, भीनमाल 2. तहसीलदार, बागोड़ा
144. सांचोर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांचोर	तहसीलदार, सांचोर
145. रानीवाड़ा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रानीवाड़ा	1. तहसीलदार, रानीवाड़ा 2. तहसीलदार, सांचोर 3. तहसीलदार, भीनमाल
146. सिरोही	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही	1. तहसीलदार, सिरोही 2. तहसीलदार, शिवगंज
147. पिंडवाड़ा आबू (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आबू पर्वत	1. तहसीलदार, पिंडवाड़ा 2. तहसीलदार, आबू रोड़
148. रेवदर (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रेवदर	1. तहसीलदार, रेवदर 2. तहसीलदार, आबूरोड़

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम		निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1		2	3
149.	गोगून्दा (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गोगून्दा	1. तहसीलदार, कोटडा 2. तहसीलदार, गोगून्दा 3. तहसीलदार, गिर्वा
150.	झाडोल (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, झाडोल	1. तहसीलदार, झाडोल 2. तहसीलदार, कोटडा
151.	खैरवाड़ा (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खैरवाड़ा	1. तहसीलदार, खैरवाड़ा 2. तहसीलदार, ऋषभदेव
152.	उदयपुर ग्रामीण (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गिर्वा	1. तहसीलदार, गिर्वा 2. तहसीलदार, (आर.एस.एम.एम.) उदयपुर
153.	उदयपुर	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) उदयपुर	1. तहसीलदार, गिर्वा 2. तहसीलदार, नगर विकास न्यास, उदयपुर
154.	मावली	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मावली	1. तहसीलदार, मावली 2. तहसीलदार, गिर्वा
155.	वल्लभनगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर	1. तहसीलदार, वल्लभनगर 2. तहसीलदार, गिर्वा
156.	सलूमबर (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सलूमबर	1. तहसीलदार, सलूमबर 2. तहसीलदार, सराड़ा
157.	धरियावद (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, धरियावद	1. तहसीलदार, धरियावद 2. तहसीलदार, सलूमबर 3. तहसीलदार, लसाड़िया
158.	डूंगरपुर (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर	तहसीलदार, डूंगरपुर
159.	आसपुर (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आसपुर	1. तहसीलदार, आसपुर 2. तहसीलदार, डूंगरपुर
160.	सागवाड़ा (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सागवाड़ा	तहसीलदार, सागवाड़ा
161.	चौरासी (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सीमलवाड़ा (मु0) धम्बोला	1. तहसीलदार, सीमलवाड़ा (मु0) धम्बोला 2. तहसीलदार, डूंगरपुर
162.	घाटोल (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, घाटोल	1. तहसीलदार, घाटोल 2. तहसीलदार, पीपलखूंट
163.	गढ़ी (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गढ़ी	1. तहसीलदार, गढ़ी 2. तहसीलदार, बांसवाड़ा
164.	बांसवाड़ा (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा	तहसीलदार, बांसवाड़ा

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3
165. बागीदोरा (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बागीदोरा	तहसीलदार, बागीदोरा
166. कुशलगढ़ (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कुशलगढ़	तहसीलदार, कुशलगढ़
167. कपासन (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कपासन	1. तहसीलदार, कपासन 2. तहसीलदार, राशमी 3. तहसीलदार, भदेसर
168. बेगूं	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बेगूं	1. तहसीलदार, बेगूं 2. तहसीलदार, रावतभाटा 3. तहसीलदार, गंगरार
169. चित्तौड़गढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़	1. तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ 2. तहसीलदार, भदेसर 3. तहसीलदार, गंगरार
170. निम्बाहेड़ा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, निम्बाहेड़ा	1. तहसीलदार, निम्बाहेड़ा 2. तहसीलदार, छोटी सादड़ी
171. बड़ी सादड़ी	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बड़ी सादड़ी	1. तहसीलदार, बड़ी सादड़ी 2. तहसीलदार, झूंगला 3. तहसीलदार, भदेसर 4. तहसीलदार, प्रतापगढ़
172. प्रतापगढ़ (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़	1. तहसीलदार, प्रतापगढ़ 2. तहसीलदार, अरनोद
173. भीम	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भीम	1. तहसीलदार, भीम 2. तहसीलदार, देवगढ़
174. कुम्भलगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कुम्भलगढ़	1. तहसीलदार, कुम्भलगढ़ 2. तहसीलदार, आमेट
175. राजसमन्द	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द	1. तहसीलदार, राजसमन्द 2. तहसीलदार, रेलमगरा
176. नाथद्वारा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा	1. तहसीलदार, नाथद्वारा 2. तहसीलदार, रेलमगरा
177. आसीन्द	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आसीन्द	1. तहसीलदार, आसीन्द 2. तहसीलदार, हुरडा
178. माण्डल	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, माण्डल	1. तहसीलदार, माण्डल 2. तहसीलदार, भीलवाड़ा
179. सहाड़ा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गंगापुर	1. तहसीलदार, सहाड़ा (मुख्यालय) गंगापुर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम		निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1		2	3
			2. तहसीलदार, रायपुर 3. तहसीलदार, भीलवाड़ा
180.	भीलवाड़ा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा	तहसीलदार, भीलवाड़ा
181.	शाहपुरा (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	1. तहसीलदार, शाहपुरा 2. तहसीलदार, बनेड़ा
182.	जहाजपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जहाजपुर	1. तहसीलदार, जहाजपुर 2. तहसीलदार, कोटड़ी
183.	माण्डलगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ़	1. तहसीलदार, माण्डलगढ़ 2. तहसीलदार, बिजोलिया 3. तहसीलदार, कोटड़ी
184.	हिण्डोली	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, हिण्डोली	1. तहसीलदार, हिण्डोली 2. तहसीलदार, नैनवा
185.	केशोरायपाटन (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, केशोरायपाटन	1. तहसीलदार, केशोरायपाटन 2. तहसीलदार, इन्द्रगढ़ 3. तहसीलदार, नैनवा
186.	बून्दी	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बून्दी	1. तहसीलदार, बून्दी 2. उप पंजीयक, बून्दी
187.	पीपल्दा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, इटावा	1. तहसीलदार, पीपल्दा 2. तहसीलदार, दीगोद
188.	सांगोद	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांगोद	1. तहसीलदार, सांगोद 2. तहसीलदार, दीगोद
189.	कोटा उत्तर	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा	1. उप पंजीयक (प्रथम) कोटा 2. वन बन्दोबस्त अधिकारी, वन विभाग, कोटा 3. भूमि अवाप्ति अधिकारी, सा.नि.वि. (वृत्त) कोटा
190.	कोटा दक्षिण	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) कोटा	1. तहसीलदार, नगर सुधार न्यास, कोटा 2. उप पंजीयक (द्वितीय) कोटा
191.	लाडपुरा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा	1. तहसीलदार, लाडपुरा 2. तहसीलदार (पटवार ट्रेनिंग स्कूल), कोटा
192.	रामगंज मण्डी (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रामगंज मण्डी	1. तहसीलदार, रामगंज मण्डी 2. तहसीलदार, लाडपुरा



विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम		निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1		2	3
193.	अंता	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, अन्ता	1. तहसीलदार, अंता 2. तहसीलदार, मांगरोल 3. तहसीलदार, बारां
194.	किशनगंज (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगंज	1. तहसीलदार, किशनगंज 2. तहसीलदार, शाहबाद
195.	बारां-अटरू (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बारां	1. तहसीलदार, बारां 2. तहसीलदार, अटरू
196.	छबड़ा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, छबड़ा	1. तहसीलदार, छबड़ा 2. तहसीलदार, छींपाबड़ोद
197.	डग (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी	1. तहसीलदार, गंगधार 2. तहसीलदार, पचपहाड़
198.	झालरापाटन	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, झालावाड़	1. तहसीलदार, झालरापाटन 2. तहसीलदार, पिड़ावा
199.	खानपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खानपुर	1. तहसीलदार, खानपुर 2. तहसीलदार, झालरापाटन
200.	मनोहर थाना	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मनोहर थाना	1. तहसीलदार, मनोहर थाना 2. तहसीलदार, अकलेरा 3. तहसीलदार, झालरापाटन

परिशिष्ट-6

वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के वास्तविक व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय व्ययक अनुमानों का विवरण

बजट मद -2015 निर्वाचन (मांग संख्या-7)

बजट प्रावधान

(राशि लाखों में)

मद	बजट मद	वास्तविक व्यय 2009-10	आय व्ययक अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2010-11	वास्तविक व्यय 2010-11	आय व्ययक अनुमान 2011-12
102	निर्वाचन अधिकारी					
01	संवेतन	1228.75	1300.00	1250.00	1205.26	1412.00
03	यात्रा व्यय	3.11	3.25	3.25	3.43	3.25
04	चिकित्सा व्यय	11.66	10.00	10.00	9.80	10.00
05	कार्यालय व्यय	34.07	11.00	12.00	13.26	11.00
06	वाहन क्रय	5.41	0.0	0.0	0.0	0.0
07	कार्यालय वाहनो का संधारण	2.00	1.00	1.50	1.50	1.00
09	किराया,, कर,, दर एवं रायल्टी	1.65	1.83	1.51	1.41	1.52
10	प्रकाशन	00.00	0.01	0.01	0.00	0.01
28	विविध व्यय	00.00	0.01	0.01	0.00	0.01
32	डिक्रिटल चार्जेज	00.00	0.01	0.01	0.00	0.01
37	वर्दी व्यय	0.54	0.68	0.66	0.52	0.68
41	संविदा सेवायें	3.86	10.21	7.23	5.52	8.77
89	पेंशन अंशदान	0.69	0.50	1.10	1.32	1.06
102	दत्तमत	<b>1291.74</b>	<b>1338.49</b>	<b>1287.27</b>	<b>1242.02</b>	<b>1449.30</b>
	प्रभृत	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
103	मतदाता सूचियों तैयार करना एवं मुद्रण	959.13	1000.00	1700.00	1688.51	1600.00
104	लोकसभा और राज्य/संघ राज्य के विधानमण्डल के एक साथ चुनाव कराने के लिये प्रभार	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
105	संसद के चुनाव कराने पर प्रभार	6214.06	0.01	35.69	23.97	0.01
106	राज्य / संघ राज्य के विधान मण्डल के चुनाव कराने पर प्रभार	235.59	0.01	52.91	46.96	0.01
108	मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना	296.92	300.00	280.00	278.38	120.00
	<b>योग 2015-निर्वाचन</b>	<b>8997.44</b>	<b>2638.53</b>	<b>3355.89</b>	<b>3279.85</b>	<b>3169.34</b>

वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के वास्तविक व्यय एवं 2011-12 के आय व्ययक अनुमानों का विवरण						
बजट मद -2015 निर्वाचन (मांग संख्या - 7)						
बजट प्रावधान						(राशि लाखों में)
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-
80	सामान्य	-	-	-	-	-
051	निर्माण	-	-	-	-	-
035	सामान्य भवन निर्वाचन विभाग के माध्यम से	24.10	4.06	4.06	1.46	20.34

परिशिष्ट-7

जिलेवार/विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं, मतदान केन्द्र तथा फोटो पहचान पत्रों की स्थिति  
(दिनांक 1.1.2012 के संदर्भ में पुनरीक्षित मतदाता सूची के अनुसार)

विधानसभा क्षेत्र का नम्बर व नाम	मतदाता			सेवा नियोजित मतदाता	कुल मतदाता	मतदान केन्द्र	मतदाता फोटो पहचान पत्र
	पुरुष	महिला	योग				
<b>अजमेर</b>							
98. किशनगढ़	113025	102901	215926	425	216351	229	207294
99. पुष्कर	92644	84673	177317	719	178036	176	176229
100. अजमेर उत्तर	87754	81906	169660	269	169929	151	162159
101. अजमेर दक्षिण (अ.जा.)	86223	78470	164693	168	164861	147	158117
102. नसीराबाद	86917	79527	166444	611	167055	185	164137
103. ब्यावर	98166	91493	189659	1307	190966	236	186194
104. मसूदा	106363	100223	206586	537	207123	232	198151
105. केकड़ी	102981	96911	199892	179	200071	226	193249
<b>योग</b>	<b>774073</b>	<b>716104</b>	<b>1490177</b>	<b>4215</b>	<b>1494392</b>	<b>1582</b>	<b>1445530</b>
<b>अलवर</b>							
59. तिजारा	79786	68264	148050	1282	149332	188	147581
60. किशनगढ़बास	96091	83377	179468	2050	181518	208	171830
61. मुण्डावर	92723	80654	173377	4378	177755	190	165351
62. बहरोड़	91929	79565	171494	3578	175072	186	170175
63. बानसूर	94585	81068	175653	914	176567	202	166256
64. थानागाजी	85260	71315	156575	125	156700	192	145948
65. अलवर ग्रामीण (अ.जा.)	91876	77882	169758	430	170188	196	162903
66. अलवर शहर	101162	86086	187248	243	187491	182	177388
67. रामगढ़	95055	80905	175960	313	176273	223	166919
68. राजगढ़-लक्ष्मणगढ़(अ.ज. जा.)	103480	86097	189577	350	189927	235	174286
69. कटूमर (अ.जा.)	89817	74296	164113	558	164671	202	158589
<b>योग</b>	<b>1021764</b>	<b>869509</b>	<b>1891273</b>	<b>14221</b>	<b>1905494</b>	<b>2204</b>	<b>1807226</b>
<b>बांसवाड़ा</b>							
162. घाटोल (अ.ज.जा.)	100130	96549	196679	3	196682	249	182313
163. गढ़ी (अ.ज.जा.)	108531	103819	212350	10	212360	257	203701
164. बांसवाड़ा (अ.ज.जा.)	98470	93501	191971	16	191987	229	186939

विधानसभा क्षेत्र का नम्बर व नाम		मतदाता			सेवा नियोजित मतदाता	कुल मतदाता	मतदान केन्द्र	मतदाता फोटो पहचान पत्र
		पुरुष	महिला	योग				
165.	बागीदोरा (अ.ज.जा.)	94024	88850	182874	7	182881	245	177240
166.	कुशलगढ़ (अ.ज.जा.)	87268	83175	170443	2	170445	200	168384
	<b>योग</b>	<b>488423</b>	<b>465894</b>	<b>954317</b>	<b>38</b>	<b>954355</b>	<b>1180</b>	<b>928577</b>
<b>बारां</b>								
193.	अंता	86714	76915	163629	22	163651	211	157878
194.	किशनगंज (अ.ज.जा.)	84615	76020	160635	18	160653	198	156852
195.	बारां-अटरू (अ.जा.)	93702	83095	176797	42	176839	241	172071
196.	छबड़ा	92800	80697	173497	43	173540	228	167888
	<b>योग</b>	<b>357831</b>	<b>316727</b>	<b>674558</b>	<b>125</b>	<b>674683</b>	<b>878</b>	<b>654689</b>
<b>बाड़मेर</b>								
134.	शिव	110505	94423	204928	141	205069	382	197311
135.	बाड़मेर	99787	86060	185847	231	186078	261	177227
136.	बायतू	92066	79428	171494	319	171813	305	166601
137.	पचपदरा	93404	81505	174909	161	175070	202	166545
138.	सिवाना	102336	88019	190355	87	190442	231	182778
139.	गुड़ा मालानी	93463	81404	174867	77	174944	303	171203
140.	चोहटन (अ.जा.)	108205	92733	200938	99	201037	266	195533
	<b>योग</b>	<b>699766</b>	<b>603572</b>	<b>1303338</b>	<b>1115</b>	<b>1304453</b>	<b>1950</b>	<b>1257198</b>
<b>भरतपुर</b>								
70.	कामां	93725	80887	174612	115	174727	197	168524
71.	नगर	92101	77323	169424	807	170231	193	160548
72.	डीग-कुम्हेर	100932	84751	185683	1605	187288	183	174422
73.	भरतपुर	104357	86657	191014	551	191565	190	185174
74.	नदबई	113334	93987	207321	676	207997	231	206780
75.	वैर (अ.जा.)	103144	80288	183432	602	184034	211	177196
76.	बयाना (अ.जा.)	100154	80946	181100	509	181609	211	173839
	<b>योग</b>	<b>707747</b>	<b>584839</b>	<b>1292586</b>	<b>4865</b>	<b>1297451</b>	<b>1416</b>	<b>1246483</b>
<b>भीलवाडा</b>								
177.	आसीन्द	112500	106756	219256	176	219432	268	210753
178.	माण्डल	96620	91642	188262	46	188308	237	184155
179.	सहाड़ा	96764	92021	188785	19	188804	237	182183

विधानसभा क्षेत्र का नम्बर व नाम	मतदाता			सेवा नियोजित मतदाता	कुल मतदाता	मतदान केन्द्र	मतदाता फोटो पहचान पत्र
	पुरुष	महिला	योग				
180. भीलवाड़ा	93425	81515	174940	27	174967	170	167323
181. शाहपुरा (अ.जा.)	98291	91525	189816	30	189846	229	185545
182. जहाजपुर	96171	87745	183916	741	184657	233	180832
183. माण्डलगढ़	94963	86750	181713	15	181728	240	178088
<b>योग</b>	<b>688734</b>	<b>637954</b>	<b>1326688</b>	<b>1054</b>	<b>1327742</b>	<b>1614</b>	<b>1288879</b>
<b>बीकानेर</b>							
12. खजूवाला (अ.जा.)	87107	71585	158692	26	158718	185	152529
13. बीकानेर पश्चिम	86155	73055	159210	42	159252	158	155899
14. बीकानेर पूर्व	92523	79251	171774	263	172037	171	164824
15. कोलायत	93625	78197	171822	150	171972	221	167497
16. लूणकरणसर	93346	81390	174736	37	174773	191	168880
17. डूंगरगढ़	93011	83176	176187	81	176268	181	170750
18. नोखा	102031	87278	189309	219	189528	192	183987
<b>योग</b>	<b>647798</b>	<b>553932</b>	<b>1201730</b>	<b>818</b>	<b>1202548</b>	<b>1299</b>	<b>1164366</b>
<b>बूंदी</b>							
184. हिण्डोली	103564	92557	196121	219	196340	256	186568
185. केशोरायपाटन (अ.जा.)	109875	96508	206383	149	206532	277	194329
186. बून्दी	112838	100805	213643	102	213745	268	200573
<b>योग</b>	<b>326277</b>	<b>289870</b>	<b>616147</b>	<b>470</b>	<b>616617</b>	<b>801</b>	<b>581470</b>
<b>चित्तौड़गढ़</b>							
167. कपासन (अ.जा.)	109173	106165	215338	52	215390	269	205707
168. बेगूं	107734	98333	206067	52	206119	268	196963
169. चित्तौड़गढ़	102524	96191	198715	77	198792	229	185755
170. निम्बाहेड़ा	107510	101695	209205	17	209222	246	203898
171. बड़ी सादड़ी	106937	102025	208962	25	208987	252	200783
<b>योग</b>	<b>533878</b>	<b>504409</b>	<b>1038287</b>	<b>223</b>	<b>1038510</b>	<b>1264</b>	<b>993106</b>
<b>चूरु</b>							
19. सादुलपुर	93772	82434	176206	1713	177919	202	171283
20. तारानगर	98484	84276	182760	753	183513	212	181332
21. सरदारशहर	110063	95041	205104	190	205294	229	205104
22. चूरु	93035	82293	175328	921	176249	191	174272

विधानसभा क्षेत्र का नम्बर व नाम	मतदाता			सेवा नियोजित मतदाता	कुल मतदाता	मतदान केन्द्र	मतदाता फोटो पहचान पत्र
	पुरुष	महिला	योग				
23. रतनगढ़	97790	86597	184387	480	184867	193	184387
24. सुजानगढ़ (अ.जा.)	105188	93049	198237	307	198544	206	198237
<b>योग</b>	<b>598332</b>	<b>523690</b>	<b>1122022</b>	<b>4364</b>	<b>1126386</b>	<b>1233</b>	<b>1114615</b>
<b>दौसा</b>							
85. बांकीकुई	87357	73151	160508	318	160826	215	160344
86. महवा	82855	69306	152161	632	152793	201	146331
87. सिकराय (अ.जा.)	101065	85180	186245	288	186533	225	185634
88. दौसा	91960	79080	171040	137	171177	202	156335
89. लालसोट (अ.ज.जा.)	96880	82742	179622	33	179655	233	169375
<b>योग</b>	<b>460117</b>	<b>389459</b>	<b>849576</b>	<b>1408</b>	<b>850984</b>	<b>1076</b>	<b>818019</b>
<b>धौलपुर</b>							
77. बसेड़ी (अ.जा.)	74683	59467	134150	118	134268	160	126604
78. बाड़ी	87102	72112	159214	103	159317	192	155797
79. धौलपुर	79406	66196	145602	114	145716	184	138618
80. राजाखेड़ा	80172	62494	142666	170	142836	184	133954
<b>योग</b>	<b>321363</b>	<b>260269</b>	<b>581632</b>	<b>505</b>	<b>582137</b>	<b>720</b>	<b>554973</b>
<b>डूंगरपुर</b>							
158. डूंगरपुर (अ.ज.जा.)	94327	89033	183360	79	183439	202	172598
159. आसपुर (अ.ज.जा.)	101723	97674	199397	13	199410	231	188627
160. सागवाड़ा (अ.ज.जा.)	99379	93249	192628	5	192633	209	190272
161. चौरासी (अ.ज.जा.)	88512	84078	172590	16	172606	205	164706
<b>योग</b>	<b>383941</b>	<b>364034</b>	<b>747975</b>	<b>113</b>	<b>748088</b>	<b>847</b>	<b>716203</b>
<b>गंगानगर</b>							
1. सादुलशहर	95634	80740	176374	88	176462	197	176374
2. गंगानगर	88775	75381	164156	53	164209	174	159771
3. करणपुर	94884	83294	178178	73	178251	222	178068
4. सूरतगढ़	98764	82423	181187	68	181255	211	181132
5. रायसिंहनगर (अ.जा.)	105717	90489	196206	79	196285	243	196206
6. अनूपगढ़ (अ.जा.)	95137	79813	174950	28	174978	220	174950
<b>योग</b>	<b>578911</b>	<b>492140</b>	<b>1071051</b>	<b>389</b>	<b>1071440</b>	<b>1267</b>	<b>1066501</b>
<b>हनुमानगढ़</b>							

विधानसभा क्षेत्र का नम्बर व नाम	मतदाता			सेवा नियोजित मतदाता	कुल मतदाता	मतदान केन्द्र	मतदाता फोटो पहचान पत्र
	पुरुष	महिला	योग				
7. संगरिया	96031	84893	180924	91	181015	177	173498
8. हनुमानगढ़	108747	92722	201469	70	201539	211	201469
9. पीलीबंगा (अ.जा.)	110363	95726	206089	45	206134	222	206089
10. नोहर	106547	90144	196691	273	196964	205	196689
11. भादरा	109609	91552	201161	916	202077	208	201161
<b>योग</b>	<b>531297</b>	<b>455037</b>	<b>986334</b>	<b>1395</b>	<b>987729</b>	<b>1023</b>	<b>978906</b>
<b>जयपुर</b>							
40. कोटपूतली	89554	77143	166697	1008	167705	180	162214
41. विराटनगर	87989	76345	164334	553	164887	165	159133
42. शाहपुरा	90514	78180	168694	203	168897	162	160125
43. चौमूं	90638	78148	168786	337	169123	165	164566
44. फुलेरा	103505	89688	193193	409	193602	192	183691
45. दूदू (अ.जा.)	98222	88260	186482	201	186683	215	182447
46. झोटवाड़ा	139116	119533	258649	384	259033	246	256375
47. आमेर	103901	90828	194729	169	194898	215	182578
48. जमवारामगढ़ (अ.ज.जा.)	88186	76848	165034	52	165086	188	155692
49. हवा महल	107519	88832	196351	25	196376	183	182209
50. विद्याधर नगर	137878	112751	250629	400	251029	235	236330
51. सिविल लाईन्स	108417	91206	199623	122	199745	194	191927
52. किशन पोल	101820	83697	185517	15	185532	170	179653
53. आदर्श नगर	105479	86894	192373	24	192397	161	178180
54. मालवीय नगर	105172	91643	196815	87	196902	184	193658
55. सांगानेर	133526	111776	245302	67	245369	212	235706
56. बगरू (अ.जा.)	131134	109806	240940	50	240990	237	225326
57. बस्सी (अ.ज.जा.)	91824	81484	173308	48	173356	196	161435
58. चाकसू (अ.जा.)	91045	82143	173188	28	173216	208	165411
<b>योग</b>	<b>2005439</b>	<b>1715205</b>	<b>3720644</b>	<b>4182</b>	<b>3724826</b>	<b>3708</b>	<b>3556656</b>
<b>जैसलमेर</b>							
132. जैसलमेर	93576	80566	174142	314	174456	324	161891
133. पोकरण	79180	70187	149367	461	149828	210	143422
<b>योग</b>	<b>172756</b>	<b>150753</b>	<b>323509</b>	<b>775</b>	<b>324284</b>	<b>534</b>	<b>305313</b>



विधानसभा क्षेत्र का नम्बर व नाम	मतदाता			सेवा नियोजित मतदाता	कुल मतदाता	मतदान केन्द्र	मतदाता फोटो पहचान पत्र	
	पुरुष	महिला	योग					
<b>जालौर</b>								
141.	आहोर	106482	92566	199048	13	199061	205	195231
142.	जालौर (अ.जा.)	109841	94325	204166	8	204174	192	195315
143.	भीनमाल	113382	98239	211621	15	211636	204	204905
144.	सांचोर	114724	101553	216277	16	216293	247	206905
145.	रानीवाड़ा	96953	84642	181595	13	181608	190	179596
	<b>योग</b>	<b>541382</b>	<b>471325</b>	<b>1012707</b>	<b>65</b>	<b>1012772</b>	<b>1038</b>	<b>981952</b>
<b>झालावाड</b>								
197.	डग (अ.जा.)	99919	91951	191870	29	191899	252	185903
198.	झालरापाटन	112912	103231	216143	71	216214	273	209622
199.	खानपुर	96255	85553	181808	101	181909	243	177589
200.	मनोहर थाना	98230	89124	187354	28	187382	254	181481
	<b>योग</b>	<b>407316</b>	<b>369859</b>	<b>777175</b>	<b>229</b>	<b>777404</b>	<b>1022</b>	<b>754595</b>
<b>झुन्झुनू</b>								
25.	पिलानी (अ.जा.)	95965	84123	180088	2758	182846	203	169688
26.	सूरजगढ़	109062	96296	205358	5957	211315	229	194766
27.	झुन्झुनू	96743	84811	181554	4018	185572	198	174287
28.	मंडावा	90869	79139	170008	2653	172661	207	168553
29.	नवलगढ़	106965	91431	198396	2568	200964	210	193437
30.	उदयपुरवाटी	96617	81953	178570	2669	181239	180	175193
31.	खेतड़ी	84190	72020	156210	4122	160332	176	153371
	<b>योग</b>	<b>680411</b>	<b>589773</b>	<b>1270184</b>	<b>24745</b>	<b>1294929</b>	<b>1403</b>	<b>1229295</b>
<b>जोधपुर</b>								
22.	फलोदी	95229	83608	178837	578	179415	206	175176
123.	लोहावट	99176	87714	186890	1057	187947	205	179303
124.	शेरगढ़	104963	90406	195369	1218	196587	236	184337
125.	ओसियां	99316	88726	188042	965	189007	191	179159
126.	भोपालगढ़ (अ.जा.)	117622	107145	224767	732	225499	227	212594
127.	सरदारपुरा	101119	88389	189508	565	190073	159	169888
128.	जोधपुर	91543	82842	174385	375	174760	165	166114
129.	सूरसागर	112172	95418	207590	230	207820	175	187045

विधानसभा क्षेत्र का नम्बर व नाम		मतदाता			सेवा नियोजित मतदाता	कुल मतदाता	मतदान केन्द्र	मतदाता फोटो पहचान पत्र
		पुरुष	महिला	योग				
130.	लूणी	121190	107768	228958	870	229828	226	204650
131.	बिलाड़ा (अ.जा.)	114314	104364	218678	835	219513	214	211003
	<b>योग</b>	<b>1056644</b>	<b>936380</b>	<b>1993024</b>	<b>7425</b>	<b>2000449</b>	<b>2004</b>	<b>1869269</b>
<b>करौली</b>								
81.	टोडाभीम (अ.ज.जा.)	112544	95041	207585	1475	209060	240	193536
82.	हिन्दौन (अ.जा.)	99785	84161	183946	1520	185466	201	177316
83.	करौली	98229	79861	178090	845	178935	206	169420
84.	सपोटरा (अ.ज.जा.)	108947	87821	196768	170	196938	222	187432
	<b>योग</b>	<b>419505</b>	<b>346884</b>	<b>766389</b>	<b>4010</b>	<b>770399</b>	<b>869</b>	<b>727704</b>
<b>कोटा</b>								
187.	पीपल्दा	84505	72183	156688	28	156716	199	155673
188.	सांगोद	83387	72301	155688	32	155720	221	155363
189.	कोटा उत्तर	103984	91982	195966	199	196165	207	194071
190.	कोटा दक्षिण	105892	93950	199842	78	199920	221	199348
191.	लाडपुरा	99286	85968	185254	130	185384	203	185183
192.	रामगंज मण्डी (अ.जा.)	87453	74202	161655	28	161683	192	160543
	<b>योग</b>	<b>564507</b>	<b>490586</b>	<b>1055093</b>	<b>495</b>	<b>1055588</b>	<b>1243</b>	<b>1050181</b>
<b>नागौर</b>								
106.	लाडनूं	96430	88183	184613	1942	186555	196	175709
107.	डीडवाना	97030	89305	186335	1808	188143	199	179996
108.	जायल (अ.जा.)	98550	88939	187489	1169	188658	194	177179
109.	नागौर	101477	90182	191659	356	192015	200	178770
110.	खींवसर	102475	90863	193338	718	194056	214	184572
111.	मेड़ता (अ.जा.)	109293	98537	207830	534	208364	222	203601
112.	डेगाना	102354	91539	193893	695	194588	221	184485
113.	मकराना	100238	88925	189163	897	190060	201	181014
114.	परबतसर	94673	84768	179441	1089	180530	192	170389
115.	नांवा	100813	90126	190939	803	191742	195	181417
	<b>योग</b>	<b>1003333</b>	<b>901367</b>	<b>1904700</b>	<b>10011</b>	<b>1914711</b>	<b>2034</b>	<b>1817132</b>
<b>पाली</b>								
116.	जैतारण	115201	106831	222032	678	222710	253	213775
117.	सोजत (अ.जा.)	96947	91052	187999	215	188214	219	179736

विधानसभा क्षेत्र का नम्बर व नाम		मतदाता			सेवा नियोजित मतदाता	कुल मतदाता	मतदान केन्द्र	मतदाता फोटो पहचान पत्र
		पुरुष	महिला	योग				
118.	पाली	99290	86251	185541	128	185669	193	179324
119.	मारवाड़ जंक्शन	117385	107015	224400	229	224629	250	208980
120.	बाली	136064	121049	257113	104	257217	265	242493
121.	सुमेरपुर	122742	106738	229480	64	229544	246	215882
	<b>योग</b>	<b>687629</b>	<b>618936</b>	<b>1306565</b>	<b>1418</b>	<b>1307983</b>	<b>1426</b>	<b>1240190</b>
<b>प्रतापगढ़</b>								
157.	धरियावद (अ.ज.जा.)	101018	96451	197469	6	197475	243	178602
172.	प्रतापगढ़ (अ.ज.जा.)	97379	93169	190548	12	190560	234	172573
	<b>योग</b>	<b>198397</b>	<b>189620</b>	<b>388017</b>	<b>18</b>	<b>388035</b>	<b>477</b>	<b>351175</b>
<b>राजसमन्द</b>								
173.	भीम	85059	79410	164469	1142	165611	212	156369
174.	कुम्भलगढ़	86796	80456	167252	42	167294	215	153185
175.	राजसमन्द	90036	85215	175251	49	175300	211	166104
176.	नाथद्वारा	99024	91581	190605	38	190643	221	181112
	<b>योग</b>	<b>360915</b>	<b>336662</b>	<b>697577</b>	<b>1271</b>	<b>698848</b>	<b>859</b>	<b>656770</b>
<b>सवाई माधोपुर</b>								
90.	गंगापुर	99875	81232	181107	283	181390	182	169105
91.	बामनवास (अ.ज.जा.)	100000	82461	182461	123	182584	202	173070
92.	सवाई माधोपुर	103277	86530	189807	73	189880	195	178102
93.	खण्डार (अ.जा.)	98639	80982	179621	73	179694	208	176746
	<b>योग</b>	<b>401791</b>	<b>331205</b>	<b>732996</b>	<b>552</b>	<b>733548</b>	<b>787</b>	<b>697023</b>
<b>सीकर</b>								
32.	फतेहपुर	95640	84423	180063	1013	181076	195	172299
33.	लक्ष्मणगढ़	106349	94592	200941	1735	202676	215	192119
34.	धोद (अ.जा.)	104398	93130	197528	958	198486	200	193027
35.	सीकर	104447	91015	195462	733	196195	197	189893
36.	दांता रामगढ़	106967	94261	201228	1024	202252	214	191888
37.	खंडेला	100981	85987	186968	667	187635	197	178775
38.	नीम का थाना	102176	86254	188430	2674	191104	194	184029
39.	श्रीमाधोपुर	108325	91340	199665	985	200650	192	191431
	<b>योग</b>	<b>829283</b>	<b>721002</b>	<b>1550285</b>	<b>9789</b>	<b>1560074</b>	<b>1604</b>	<b>1493461</b>

विधानसभा क्षेत्र का नम्बर व नाम	मतदाता			सेवा नियोजित मतदाता	कुल मतदाता	मतदान केन्द्र	मतदाता फोटो पहचान पत्र	
	पुरुष	महिला	योग					
<b>सिरोही</b>								
146.	सिरोही	111300	97421	208721	37	208758	210	198957
147.	पिंडवाड़ा आबू (अ.ज.जा.)	85400	74006	159406	38	159444	164	154580
148.	रेवदर (अ.जा.)	104699	91191	195890	14	195904	209	189354
	<b>योग</b>	<b>301399</b>	<b>262618</b>	<b>564017</b>	<b>89</b>	<b>564106</b>	<b>583</b>	<b>542891</b>
<b>टोंक</b>								
94.	मालपुरा	104000	94845	198845	237	199082	245	192503
95.	निवाई (अ.जा.)	103555	93347	196902	103	197005	243	188035
96.	टोंक	93947	85052	178999	222	179221	205	171911
97.	देवली-उनियारा	113204	101355	214559	275	214834	256	205443
	<b>योग</b>	<b>414706</b>	<b>374599</b>	<b>789305</b>	<b>837</b>	<b>790142</b>	<b>949</b>	<b>757892</b>
<b>उदयपुर</b>								
149.	गोगून्दा (अ.ज.जा.)	99299	90850	190149	17	190166	240	180808
150.	झाडोल (अ.ज.जा.)	94863	88723	183586	18	183604	241	176527
151.	खेरवाड़ा (अ.ज.जा.)	114288	108308	222596	153	222749	270	212344
152.	उदयपुर ग्रामीण (अ.ज.जा.)	98625	90289	188914	38	188952	199	183227
153.	उदयपुर	102344	94776	197120	42	197162	192	189367
154.	मावली	102287	95914	198201	77	198278	220	187879
155.	वल्लभनगर	107161	101332	208493	87	208580	239	204740
156.	सलूमबर (अ.ज.जा.)	112422	105559	217981	8	217989	242	202802
	<b>योग</b>	<b>831289</b>	<b>775751</b>	<b>1607040</b>	<b>440</b>	<b>1607480</b>	<b>1843</b>	<b>1537694</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>19996954</b>	<b>17609964</b>	<b>37606918</b>	<b>101669</b>	<b>37708587</b>	<b>42737</b>	<b>36185934</b>